राजस्थान विधान सभा की कार्यवाही का वृत्तान्त

अंक : 7] बारहवीं विधान सभा के सप्तम सत्र का प्रथम दिवस [संख्या : 1

गरुवार,

1 मार्च, 2007

(राजस्थान विधान सभा की बैठक 11.45 बजे विधान सभा भवन,

जयपुर में प्रारम्भ हुई)

(श्रीमती सुमित्रा सिंह, अध्यक्ष, पदासीन)

राष्ट्र गीत

वन्दे मातरम् । वन्दे मातरम् ।

सुजलाम् सुफलाम् मलयज शीतलाम्।

शस्य श्यामलाम् मातरम्। वन्दे मातरम् ।

शुभ्र ज्योत्स्ना पुलकित यामिनी।

फुल्ल कुसुमित द्रुमदल शोभिनी।

सुहासिनी सुमधुर भाषिणी ।

सुखदाम् वरदाम् मातरम्।

वन्दे मातरम् । वन्दे मातरम् ।

श्री मदन दिलावर (समाज कल्याण मंत्री) : भारत माता की जय।

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक) : माननीय अध्यक्ष महोदय, ... (व्यवधान)

व्यवस्था का प्रश्न

सदन की कार्यवाही का स्थगन नियमानुसार नहीं

श्री सी. डी. देवल (रायपुर) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा पाइंट आफ आर्डर है। मेरा पाइंट आफ आर्डर है कि आपने जो आज सदन की कार्यवाही स्थगित की वह नियमानुसार नहीं थी क्योंकि गवर्नर का भाषण कोई सदन का पार्ट नहीं है। पहले गवर्नर के जाने के बाद सचिव महोदय आकर घोषणा करते, उसके बाद आपको कोई कार्यवाही करनी चाहिए थी लेकिन यह जो कुछ हुआ है यह दुर्भाग्यपूर्ण है इसलिए मेरा यह पाइंट आफ आर्डर है कि यह कार्यवाही बिलकुल गलत हुई है, इसका आप कोई निराकरण करें।

श्री अध्यक्ष : आपने जो अपना व्यवस्था का प्रश्न उठाया है मैं उस पर अपनी व्यवस्था तो दूंगी बाद में लेकिन मैं आपसे यह निवेदन करना चाहूंगी कि चूंकि शोर-शराबा ही नहीं बल्कि नारे लग रहे थे और आज दिन तक कभी भी राज्यपाल महोदय के अभिभाषण के ऊपर इस प्रकार का प्रदर्शन नहीं हुआ कि उनके सामने आकर नारे लगे। उनके सामने आकर नारे लगे इसलिए ... (व्यवधान)

अनेक माननीय सदस्य : शेम-शेम।

श्री अध्यक्ष : आज दिन तक कभी नहीं हुआ ऐसा इसलिए मैंने उचित समझा ... (व्यवधान)

श्री अमराराम (धोद) : अध्यक्ष महोदय, आज तक तो इससे आगे भी हुआ है इस विधान सभा में ... (व्यवधान)

श्री अध्यक्षः अब आप बीच में नहीं बोलें।

श्री अमराराम (धोद) : अध्यक्ष महोदय, आज तक तो इससे आगे भी हुआ इस विधान सभा में ... (व्यवधान) यह मंथन फाड़कर भी फेंका गया है, इसी सदन के अन्दर ... (व्यवधान) फाड़कर इसी सदन में ... (व्यवधान) हुआ है। ... (व्यवधान)

श्री सी. डी. देवल (रायपुर) : इससे आगे भी किया है। ... (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : मैं समझती हूं कि मुझे देखने दीजिए। यदि इसमें किसी

(श्री अध्यक्ष)

प्रकार से कोई संवैधानिक मेरी गलती हुई है तो उसके लिए मैं खेद प्रगट करती हूं लेकिन व्यवस्था मैं बाद में दूंगी। ... (व्यवधान)

श्री सी. डी. देवल (रायपुर) : ठीक है।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही) : ऑन ए पाइंट आफ आर्डर, अध्यक्ष महोदय। आन ए पाइंट आफ आर्डर अध्यक्ष महोदय। आन ए पाइंट आफ आर्डर, आन ए पाइंट आफ आर्डर।

श्री प्रद्युम्न सिंह (राजाखेड़ा) : एक मिनट, साहब। ऐसा है कि जो हुआ वह तो बहुत से लोग उनके विचार के असहमत हैं। कांग्रेस वाले इसमें कोई शरीक नहीं । तो एक बात कहना चाहूंगा कि आपने यह जो कहा कि सदन में ऐसा नहीं हुआ यह बात सही नहीं है।

श्री अध्यक्ष : नारे लगे कभी?

श्री प्रद्युम्न सिंह (राजाखेड़ा) : अब आप सुनिये। अब आप सुनिये। ... (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : इस प्रकार से गवर्नर के सामने आकर नारे लगे?

श्री प्रद्युम्न सिंह (राजाखेड़ा) : हां। मैंने किया है डी.पी. चटटोपाध्याय के सामने इसलिए मुझे यह याद है। I have done it. ... (व्यवधान)

श्री श्रवणकुमार (पिलानी) : पर्चे भी फाड़े हैं। ... (व्यवधान) पर्चे भी फाड़े हैं, हमने देखे हैं। ... (व्यवधान)

श्री प्रद्युम्न सिंह (राजाखेड़ा) : माननीय अध्यक्ष महोदय, डी.पी. चटटोपाध्याय राज्यपाल थे, उनके सामने ... (व्यवधान)

श्री सी. डी. देवल (रायपुर) : अध्यक्ष महोदय, उस समय भी किया है, आप रिकार्ड देख लीजिए। ... (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री) : 20 साल बाद यह घटना घटी है। माननीय अध्यक्ष महोदय, 20 साल के अन्तराल में महामहिम राज्यपाल महोदय का अपमान इस प्रांगण में हुआ है। 20 साल के बाद ... (व्यवधान) जिस तरह इन्होंने बात की यह ... (व्यवधान)

श्री प्रद्युम्न सिंह (राजाखेड़ा) : यह आपके ध्यान में ... (व्यवधान)

श्री सी. डी. देवल (रायपुर) : ... (व्यवधान) माननीय अध्यक्ष महोदय तो खुद विधान सभा के अन्दर बोली हुई हैं, गवर्नर स्पीच के अन्दर। यह पहली बार नहीं हुआ है।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री) : यह संवैधानिक मर्यादा के पद हैं।

श्री प्रद्युम्न सिंह (राजाखेड़ा) : आपने जो कहा है वह ... (व्यवधान)

श्री सी. डी. देवल (रायपुर) : यह पहली बार नहीं हुआ है।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री) : माननीय अध्यक्ष महोदय, संवैधानिक प्रमुख का इस तरह अपमान मैं समझता हूं कि निन्दनीय है। ... (व्यवधान)

श्री अमराराम (धोद) : मंत्री महोदय, राज्यपाल महोदय का कोई अपमान नहीं है। सरकार की ... (व्यवधान)

श्री सी. डी. देवल (रायपुर) : यहां तो कापियां, भाषण की कापियां भी छीनी गयी हैं अध्यक्ष महोदय। ... (व्यवधान) अध्यक्ष महोदय, आपने कहा कि ... (व्यवधान) भाषण कापियां भी छीनी गयी हैं और आप नारों की बात करती हैं। ... (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री) : यह राज्यपाल महोदय का अपमान है, यह राज्यपाल महोदय का अपमान है। ... (व्यवधान)

श्री अमराराम (धोद) : राज्यपाल के अभिभाषण पर प्रतिवाद होते रहे हैं और प्रतिवाद की बात ... (व्यवधान)

श्री सी. डी. देवल (रायपुर) : ... (व्यवधान) लेकिन उस पर कार्यवाही हुई है। असंवैधानिक जो किया है इसके लिए अध्यक्ष महोदय को खेद प्रगट करना चाहिए। ... (व्यवधान)

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही) : आन ए पाइंट आफ आर्डर, अध्यक्ष महोदय। ... (व्यवधान)

श्री रणवीर सिंह गुढा (गुढा) : माननीय अध्यक्ष महोदय, कई बार हुआ है। ... (व्यवधान) पिछली बार हुआ है। ... (व्यवधान) इतना बड़ा घोटाला राजस्थान के इतिहास में पहली बार हुआ है।

श्री अध्यक्ष : The Chair is on its legs.

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही) : आन ए पाइंट आफ आर्डर, अध्यक्ष महोदय।

श्री रणवीर सिंह गुढा (गुढा) : इतना बड़ा घोटाला राजस्थान के इतिहास में पहली बार हुआ है। ... (व्यवधान)

महामहिम राज्यपाल का भाषण संवैधानिक मान्यताओं के अनुरूप नहीं

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही) : आन ए पाइंट ऑफ आर्डर। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : कृपया अपना-अपना स्थान ग्रहण कीजिये। The Chair is on its legs. आप अपना अपना स्थान ग्रहण करें। (व्यवधान) सदन की मेज पर रखे जाने वाले पत्रादि। (व्यवधान)

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही) : ऑन ए पाइंट ऑफ आर्डर। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : अब आपका क्या है ? (व्यवधान)

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके ध्यान में यह लाना चाहता हूं कि आज (व्यवधान) .....

श्री अध्यक्ष : मैंने सदन की मेज पर रखे जाने वाले पत्रादि के बारे में कह दिया। (व्यवधान) ...

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही) : मैंने पहले ही पाइंट आफ आर्डर उठा दिया था और मेरे बाद राजाखेड़ा से आने वाले माननीय सदस्य खड़े हुए हैं। (व्यवधान) माननीय अध्यक्ष महोदय मेरा निवेदन यह है कि आज महामहिम राज्यपाल महोदय का अभिभाषण जिस रूप में पढ़वाया गया है उसमें संवैधानिक मर्यादाओं और परम्पराओं का पालन नहीं किया गया है, मैं आपसे यह निवेदन करना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष : आपको अभिभाषण पर वाद-विवाद के समय छूट होगी, उस समय यह सब बातें आप उठाईगा। (व्यवधान)

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही) : मेरा पाइंट आफ आर्डर है माननीय अध्यक्ष महोदय। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : इसमें क्या पाइंट आफ आर्डर है ? (व्यवधान)

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही) : आप सुन तो लीजिये। (व्यवधान) आप सुन तो लें।

श्री अध्यक्ष : जब आप अपना अभिभाषण दें तब उठाइयेगा। वह बात तो खत्म हो गयी।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही) : मैं संविधान के अनुच्छेद 176 के रेफरेंस में अपना पाइंट आफ आर्डर ला रहा हूं आपके सामने। माननीय अध्यक्ष महोदय, जब अभिभाषण पढ़ा जा रहा था, आपने तो यह कहा था कि अध्यक्षता महामहिम राज्यपाल महोदय करेंगी। फिर आपने किस आधार पर यह व्यवस्था दी और दूसरा, अभिभाषण का पहले का पृष्ठ पढ़ने के बाद और आखिरी पृष्ठ के बीच का अंश पढ़ा हुआ मान लिया जायेगा, इसके संबंध में न तो कोई प्रस्ताव लाया गया और न प्रस्ताव लाने के लिये आप सक्षम हैं। इसके लिये सदन की नेता की ओर से प्रस्ताव लाया जाना चाहिये था। वह प्रस्ताव नहीं लाया गया, इसलिये यह जो अभिभाषण हुआ है यह संवैधानिक परम्पराओं को, संवैधानिक मान्यताओं को, प्रस्ताव को ताक पर रखकर हुआ है इसलिए महामहिम का अभिभाषण फिर से करवाया जाना चाहिये। यह मेरा पाइंट आफ आर्डर है।

श्री अध्यक्ष : ठीक है, आपके पाइंट आफ आर्डर पर व्यवस्था बाद में दूंगी। (व्यवधान)

डा. **बुलाकीदास कल्ला** (बीकानेर) : मैं एक मिनट कह दूं। इसमें सिरोही से आने वाले माननीय सदस्य ने जो बात उठाई हे, उसमें दो बिन्दु हैं। एक तो यह प्रस्ताव हमेशा चीफ व्हिप के माध्यम से आना चाहिये और चीफ व्हिप के माध्यम से आने के बाद आपको अथवा महामहिम को सदन की अनुमति लेनी चाहिये। क्या सदन की अनुमति है कि अन्तिम पैरा पढ़ने के बाद इसे पढ़ा हुआ मान लिया जाये ? इन दोनों परम्पराओं का उल्लंघन तो हुआ है और इसके लिये सरकार को खेद प्रकट करना चाहिये। परम्पराओं को मनवाने की जिम्मेदारी संसदीय कार्य मंत्री की है। इसमें सरकार को खेद प्रकट करना चाहिये। इसमें सदन का अपमान हुआ है। सदन सर्वोपरि है, इसलिये सदन की अनुमति लिये बिना इसको पढ़ा हुआ मान लिया गया। और न कोई विधिवत्

(डा. बुलाकीदास कल्ला)

रूप से प्रस्ताव आया। इसमें प्रस्ताव आना चाहिये था सरकार की तरफ से। सुखदेव प्रसाद जी जब गवर्नर थे उस वक्त कांग्रेस पार्टी सरकार में थी। उस समय कांग्रेस के चीफ व्हिप प्रस्ताव लेकर आये थे और यह कहा था कि इनका स्वास्थ्य ठीक नहीं है, अन्तिम पैरा पढ़कर इस भाषण को पढ़ा हुआ मान लिया जाये। उन्होंने सदन की अनुमति ली, क्या सदन की अनुमति है ? सदन ने अनुमति दी। उसके बाद उन्होंने अन्तिम पैरा पढ़ा और उसको पढ़ा हुआ मान लिया गया। स्पीकर साहब, आप लाइब्रेरी से किताबें उठाकर देख लें। खेतसिंह जी, जब चीफ व्हिप थे, उस वक्त भी गवर्नर साहब के सामने उन्होंने भी संसदीय कार्य मंत्री के रूप में प्रस्ताव रखा कि महामहिम महोदय, आपका स्वास्थ्य ठीक नहीं है, आप अन्तिम पैरा पढ़ दें, इसे पढ़ा हुआ मान लिया जायेगा। इसके बाद उन्होंने अन्तिम पैरा पढ़ने के लिये अनुमति मांगी सदन की और सदन ने अनुमति दी। उसके बाद अभिभाषण का अन्तिम पैरा पढ़कर इसे पढ़ा हुआ मान लिया गया। इसलिये इसमें एक तरह से संवैधानिक परम्पराओं को नुकसान पहुंचा है। न तो चीफ व्हिप की तरफ से प्रस्ताव आया, न सदन की अनुमति ली गयी, इसलिए सरकार को खेद प्रकट करना चाहिये।

श्री जुबेर खान (रामगढ़) : यह आज के चीफ व्हिप स्वयं मौजूद थे, पुरानी विधान सभा में इन्होंने खुद ने कहा था।

श्री अध्यक्ष : मैंने आपसे कहा कि मैं इसकी व्यवस्था बाद में दूंगी। मैंने आपसे निवेदन कर दिया। (व्यवधान)

श्री जुबेर खान (रामगढ़) : एक बार महामहिम चेन्ना रेड्डी जी आये थे, आप स्वयं प्रस्ताव लाये थे कि स्वास्थ्य खराब है महामहिम का, इसको पढ़ा हुआ मान लिया जाये, फिर अनुमति ली गयी थी सदन से। आप स्वयं इसके साक्षी हैं।

श्री अध्यक्ष : आप उन्हीं बातों को दोहरा रहे हैं। मैंने आपसे कह दिया कि मैं इस पर व्यवस्था बाद में दूंगी। कह तो दिया मैंने। (व्यवधान)

डा. सी. पी. जोशी (नाथद्वारा) : अध्यक्ष महोदय, आप व्यवस्था नहीं दे सकते। संविधान के अनुसार यह प्रेरोगेटिव अधिकार गवर्नर का है। सदन को एड्रेस करने का प्रेरोगेटिव कांस्टीट्यूशन में गवर्नर को है और गवर्नर को जब एड्रेस है तो स्पीकर रूलिंग नहीं दे सकते। आप काहे की रूलिंग देंगे। सदन को

(डा. सी.पी.जोशी)

बुलाने का काम कांस्टीट्यूशन के अन्तर्गत राज्यपाल महोदय ने किया है और राज्यपाल महोदय ने जब सदन को बुलाया है तो महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण के संबंध में विधान सभा का स्पीकर रूलिंग दे, मैं समझता हूं, गलत परम्परा डाल रहे हैं आप। आप अपने आपको करेक्ट कर लें पहले। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : हो गया, आप बैठें। सचिव, विधान सभा, सदन की मेज पर रखे जाने वाले पत्रादि।

अभिभाषण

राज्यपाल महोदय के अभिभाषण

सचिव (विधान सभा) : महोदय, मैं राज्यपाल महोदय के अभिभाषण की प्रति सदन की मेज पर रखता हूं।

(विस्तृत अभिभाषण के लिए कृपया परिशिष्ट-1 देंखें)

राज्यपाल महोदय की अनुमति प्राप्त विधेयक

महोदय, मैं गत सत्र में पारित उन विधेयकों का विवरण सदन की मेज पर रखता हूं जिन पर राज्यपाल महोदय की अनुमति प्राप्त हो चुकी है :-

1. राजस्थान विनियोग (संख्या-3) विधेयक, 2006
2. राजस्थान विनियोग (संख्या-4) विधेयक, 2006
3. राजस्थान विनियोग (संख्या-5) विधेयक, 2006
4. राजस्थान सिविल न्यायालय (संशोधन) विधेयक, 2006
5. राजस्थान विधान सभा सदस्य निर्हरता निराकरण (संशोधन) विधेयक, 2006

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही) : आन ए पाइंट आफ आर्डर।

सदन पटल पर रखे गये पत्र

अध्यादेश

राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर (संशोधन) अध्यादेश 2006

श्री अध्यक्ष : श्रीमती वसुन्धरा राजे।

श्रीमती वसुन्धरा राजे (मुख्य मंत्री) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर (संशोधन) अध्यादेश, 2006 (वर्ष 2006 का अध्यादेश संख्या-5) सदन की मेज पर रखती हूं।

व्यवस्था का प्रश्न

महामहिम राज्यपाल द्वारा नहीं पढ़े गये अभिभाषण की प्रति सदन पटल पर नहीं रखी जा सकती

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही) : अध्यक्ष महोदय, सचिव महोदय ने जो अभिभाषण की प्रति रखी है उस पर हमारी आपत्ति है। हम कैसे मान लें, वह राज्यपाल महोदय द्वारा पढ़ा ही नहीं गया। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, कृपया बिराजें। (व्यवधान)

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही) : माननीय अध्यक्ष महोदय, राज्यपाल महोदय द्वारा अभिभाषण पढ़ा ही नहीं गया और न राज्यपाल महोदय ने कहा है कि मेरे अभिभाषण को पढ़ा हुआ मान लिया जाये।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, कृपया अपना स्थान ग्रहण करें।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही) : अध्यक्ष महोदय, आई एम आन ए पाइंट आफ आर्डर।

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर) : माननीय अध्यक्ष महोदय, आप जो शोकाभिव्यक्ति का प्रस्ताव रख रही हैं, यह जो शोकाभिव्यक्ति की सूची दी है इसमें इराक के पूर्व राष्ट्रपति सद्दाम हुसैन का नाम नहीं है। माननीय अध्यक्ष महोदय मंगलवार, 20 फरवरी को मध्य प्रदेश विधान सभा में भी सद्दाम हुसैन को श्रृद्धांजलि दी गयी है। आप चाहें तो वहां से पता कर लें। देश की अन्य दूसरी विधान सभाओं में भी उनको श्रृद्धांजलि दी गयी है। इसलिए मेरा आपसे निवेदन है कि आप भले ही पता कर लें, आज नहीं तो कल मैं यह चाहता हूं कि सदन की तरफ से इराक के पूर्व राष्ट्रपति सद्दाम हुसैन को श्रद्धांजलि दी जानी चाहिये।

श्री विजय बंसल (भरतपुर) : माननीय अध्यक्ष महोदय, जिस अपराधी को फांसी दी गयी हो, मैं नहीं समझता कि इस सदन में उसको श्रद्धांजलि दी जाये। अपराध सिद्ध होने पर फांसी दी गयी है।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, शोकाभिव्यक्ति के इस अवसर पर (व्यवधान)

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही) : माननीय अध्यक्ष महोदय, सदन के पटल पर

(श्री संयम लोढ़ा)

अभिभाषण की प्रति रखी गयी है, वह राज्यपाल महोदय के द्वारा न तो पढ़ी गयी है और न राज्यपाल महोदय ने सदन से यह कहा है कि उनका अभिभाषण पढ़ा हुआ मान लिया जाये।

श्री अध्यक्ष : शोकाभिव्यक्ति हो रही है और आप बोलते चले जा रहे हैं। (व्यवधान)

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही) : मेरा पाइंट आफ आर्डर है। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : मैं शोकाभिव्यक्ति का प्रस्ताव रख रही हूं और आप बोले चले जा रहे हैं।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही) : मेरा पाइंट आफ आर्डर है। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : पाइंट आफ आर्डर इस समय नहीं है, शोकाभिव्यक्ति हो रही है।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही) : मैंने सचिव महोदय के रखने के तुरन्त बाद पाइंट ऑफ आर्डर उठा दिया था।

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे यह निवेदन करना चाहता हूं ... (व्यवधान)

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर) : अब क्या हो गया शोकाभिव्यक्ति का ? (व्यवधान)

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही) : जब गवर्नर साहब ने यह कहा ही नहीं कि मेरा अभिभाषण पढ़ा हुआ मान लिया जाये तो यह अभिभाषण सदन के पटल पर कैसे रख दिया ?

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक) : कई सवाल महामहिम राज्यपाल महोदय के बारे में उठाये गये, सदन में अभिभाषण को पढ़ने का उनका अधिकार है और जितना वह चाहे उतना पढ़ने का स्वयं का अधिकार है। किसी को कहने की और प्रस्ताव लाने की कोई परम्परा न तो रही है और न कभी इस प्रकार की आवश्यकता पड़ी है। यह गलत कोट कर रहे हैं कि मैं ऐसा कोई प्रस्ताव रेड्डी साहब के समय लाया था।

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर) : कौन से नियम में बोल रहे हैं ?

श्री अध्यक्ष : अब तक आप कौन से नियमों में बोल रहे थे ?

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक) : नियम-7 में है, तो माननीय अध्यक्ष महोदय, इसलिए यह गलत इंटरप्रिटेशन हो रहा है। महामहिम राज्यपाल महोदय सदन को बुलाते हैं और उसके बाद वह अपना अभिभाषण पढ़ते हैं, जितना वह पढ़ना चाहे, बाकी पढ़ा हुआ माना जाता है। यह स्वस्थ परम्परा है, चाहे राष्ट्रपति महोदय हों, चाहे राज्यपाल महोदय हों।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही) : लेकिन गवर्नर साहब को कहना पड़ेगा कि मेरा अभिभाषण पढ़ा हुआ मान लिया जाये। यह कहना पड़ेगा और उन्होंने नहीं कहा है।

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक) : राज्यपाल महोदय ने कृपापूर्वक यहां आकर और .... (व्यवधान) ....

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही) : उन्होंने नहीं कहा है। (व्यवधान)

श्री सी. डी. देवल (रायपुर) : राज्यपाल महोदय ने नहीं कहा है कि मेरा अभिभाषण पढ़ा हुआ मान लिया जाये। (व्यवधान)

श्री बृजकिशोर शर्मा (जयपुर ग्रामीण) : महामहिम राज्यपाल महोदय ने नहीं कहा, यह सिर्फ आपका कहा हुआ कहा । (व्यवधान)

श्री सी. डी. देवल (रायपुर) : अध्यक्ष को आदेश देने का कोई अधिकार नहीं है राज्यपाल महोदय को। (व्यवधान)

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक) : माननीय अध्यक्ष महोदय, यह अध्यक्ष पद से दिये गये ..... (व्यवधान)

श्री बृजकिशोर शर्मा (जयपुर ग्रामीण) : माननीय अध्यक्ष महोदय, राज्यपाल महोदय तो पूरा अभिभाषण पढ़ना चाहती थीं, आपने करवाया है पूरा। आपने कहा कि आखिरी पैरा पढ़ दीजिये। महामहिम ने कहा ? (व्यवधान)

श्री सी. डी. देवल (रायपुर) : इनकी क्या बात सुनें , इनकी तो कोई बात है ही नहीं। इनकी क्या बात सुनें ? (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, कृपया स्थान ग्रहण करें। सिरोही से आने

(श्री अध्यक्ष)

वाले माननीय सदस्य, कृपया अपना स्थान ग्रहण करें। जयपुर ग्रामीण से आने वाले माननीय सदस्य, रायपुर से आने वाले माननीय सदस्य, कृपया अपना स्थान ग्रहण करें। (व्यवधान)

श्री सी. डी. देवल (रायपुर) : नियमों का उल्लंघन हो रहा है।

श्री अध्यक्ष : मुझे मजबूर ना करें नाम से पुकारने के लिये, स्थान ग्रहण कर लें। (व्यवधान)...प्लीज स्थान ग्रहण करें। (व्यवधान) कृपया स्थान ग्रहण करें। (व्यवधान) ... कृपया स्थान ग्रहण करें । (व्यवधान) ....

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही) : माननीय अध्यक्ष महोदय, सचिव महोदय द्वारा जो अभिभाषण की प्रति प्रस्तुत की गयी और मैंने व्यवस्था का प्रश्न उठाया... (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आप बोले जायेंगे, आप सुनेंगे नहीं? ...(व्यवधान)...

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही) : और मैंने व्यवस्था का प्रश्न उठाया है।

श्री अध्यक्ष : आप बोलें तो किसी और को भी सुनना पड़ेगा आपको। ...(व्यवधान)...

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही) : मेरा व्यवस्था का प्रश्न है, अध्यक्ष महोदय, इसके बीच में कैसे खड़े हो सकते हैं यह?

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक) : 1991 में, 22.02.1991 में महामहिम राज्यपाल महोदय यहां पधारे उस समय यह व्यवस्था दी गयी ...(व्यवधान)...

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही) : अध्यक्ष महोदय, जब मेरे व्यवस्था के प्रश्न पर आपने व्यवस्था नहीं दी तो बीच में यह कैसे खड़े हो सकते हैं?

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक) : मैं पढ़ कर सुनाता हूं। हमारे हाउस की व्यवस्था भी है कि 1975 में विशेष परिस्थितियों में महामहिम राज्यपाल महोदय के द्वारा बिना पढ़े ...(व्यवधान)...

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही) : महामहिम राज्यपाल महोदया ने सदन से यह नहीं कहा कि मेरे अभिभाषण को पढ़ा हुआ मान लिया जाए। इसलिए, अध्यक्ष महोदय, यह पढ़ा हुआ नहीं माना जा सकता।

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक) : इसमें संवैधानिक आवश्यकताओं की पूर्ति हो जाती है।

श्री अध्यक्ष : प्लीज, सिट डाउन। स्थान ग्रहण करें। मैं आप से कह रही हूं, सिरोही से आने वाले माननीय सदस्य, आप स्थान ग्रहण कर लें।

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक) : उनसे संवैधानिक आवश्यकताओं की पूर्ति हो जाती है। राज्यपाल महोदय द्वारा पढ़े गये अभिभाषण की जो प्रति सदन की मेज पर रखी जाती है वही अभिभाषण की प्रमाणित प्रति है।

यह 4.3.1975 को यहां पर अध्यक्ष का फैसला हुआ है। इस तरह से 3.3.1966 को भी, यदि आप राज्यपाल महोदय की अस्वस्थता के कारण, अन्य कारणों से अपना अभिभाषण पूरा नहीं पढ़ सकें तो भी संविधान के अनुच्छेद 176 के अन्तर्गत उसे पढ़ा हुआ माना जायेगा। इस आधार पर मैं पाइंट आफ आर्डर रिजैक्ट करता हूं।

यह, माननीय अध्यक्ष महोदय, 1991 में यह व्यवस्था दी गयी जब यह ...(व्यवधान)...

श्री सी. डी. देवल (रायपुर) : अध्यक्ष महोदय का आदेश था कि आप यह अंतिम पैरा पढ़ दो, राज्यपाल महोदया ने कभी नहीं कहा कि मैं अंतिम पैरा पढ़ना चाहती हूं। यह आपकी व्यवस्था थी, तो क्या अध्यक्ष यह व्यवस्था दे सकता है स्पीकर के खिलाफ में। ...(व्यवधान)...

श्री अध्यक्ष : इस सदन की परम्परा यह है कि जब कोई एक माननीय सदस्य बोलते हैं तो दूसरों को तसल्ली से बात सुननी चाहिए। आपको भी मौका देंगे उसका जवाब देने का। लेकिन यह कोई तरीका नहीं है कि एक बोल रहा और दूसरे खड़े हो गये। यह बहुत गलत बात है।

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक) : अध्यक्ष महोदय, न तो 1966 में यह व्यवस्था हुई कि कोई प्रस्ताव लाये हैं न 1975 में कोई यह व्यवस्था हुई कि कोई प्रस्ताव लाये हैं और उसको पढ़ा हुआ माना गया है। और यह व्यवस्थाएं भी दी जा चुकी हैं और यह व्यवस्थाएं हैं।

अपना हाउस अध्यक्षीय व्यवस्थाओं से, परम्पराओं से चलता है और इस

(श्री महावीर प्रसाद जैन)

प्रकार मैं यह समझता हूं और मैं माननीय सदस्यों से निवेदन भी करना चाहता हूं कि हमारी बहुत उच्च परम्पराएं रही हैं उन उच्च परम्पराओं को ध्यान में रखते हुए राजस्थान के इतिहास में महामहिम राज्यपाल के ...(व्यवधान)...

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही) : संवैधानिक परम्पराओं का मखौल उड़ाया है इस सरकार ने, पूरी तरह मखौल उड़ाया है और सदन की गरिमा का हनन किया है। ...(व्यवधान)...

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक) : ऐसा लगता है कि हम समस्याओं के प्रति गम्भीर नहीं हैं और ऊल-जलूल बातें करके समय बर्बाद करते हैं।

मैं बहुत विनम्र शब्दों में निवेदन करता हूं कि अभी हम को डेढ़ महीने ...(व्यवधान)...

श्री अध्यक्ष : इस समय सदन का प्रांगण उनके कब्जे में है, प्लीज आप बैठें।

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक) : डेढ़ महीने सदन को चलना है और डेढ़ महीने में लोगों की समस्याओं को आप लेकर आइये ...(व्यवधान)...

श्री अध्यक्ष : नहीं, जो बोलता है उसके कब्जे में प्रांगण में होता है, यह आपको गलतफहमी है। सदन का प्रांगण जो बोलता है उसके कब्जे में होता है उस समय।

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक) : अध्यक्ष महोदय, डेढ़ महीने सदन को चलना है और ऐसे जनहित के जो मुद्दे हैं, यह बात निश्चित है कि प्रतिपक्ष सरकार पर अंकुश का काम करता है। हम भी चाहते हैं कि हमारे अंकुश के रूप में आप काम करें लेकिन यह ऊल-जलूल ...(व्यवधान)...

डा. सी. पी. जोशी (नाथद्वारा) : हमारी जरूरत नहीं है, यह कार्य आप कर रहे हैं।

श्री प्रद्युम्न सिंह (राजाखेड़ा) : यह कार्य तो आप बहुत बढ़िया तरीके से निभा रहे हो अंकुश का कार्य।

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक) : चलो आपका और मेरा, दोनों का काम मैं कर रहा हूं तो आपको तो खुशी होनी चाहिए। ...(व्यवधान)...

एक माननीय सदस्य : बहुत खुशी है।

श्री महावीर प्रसाद जैन : अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे विनम्र शब्दों में निवेदन करना चाहता हूं कि इस सदन को शांतिपूर्वक चलाएं और क्योंकि हमारी यह परम्परा भी रही है और उन परम्पराओं का पालन करते हुए और महामहिम राज्यपाल महोदय, चाहे राष्ट्रपति महोदय, जब भी सदन में आये हैं और वे कृपापूर्वक आये हैं, वह संवैधानिक पद है, जिम्मेदारी विपक्ष की उतनी ही है जितनी पक्ष की है उतनी ही विपक्ष की भी है, उनका आदर हमेशा से होता आया है।

एक बार, माननीय अध्यक्ष महोदय, पार्लियामेंट में एक मैम्बर खड़ा हो गया और उसने एक कागज लहरा दिया। उस पर उस मैम्बर की सदस्यता निलम्बित कर दी, सदस्यता समाप्त कर दी।

श्री विष्णु मोदी (मसूदा) : आप भी लाइये यह प्रस्ताव।

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक) : अध्यक्ष महोदय, अपने राजस्थान में भी 1966 में जब सुखदेव प्रसादजी आये ...(व्यवधान)...

श्री विष्णु मोदी (मसूदा) : जिन-जिन लोगों ने राज्यपाल महोदया के अभिभाषण पर जो परिस्थितियां सदन में पैदा की हैं तो आप प्रस्ताव लाएं कि उनको पूरे सदन के समय के लिए निलम्बित कर दिया जाए। खाली टैक्निकलिटीज की बात करके जो आज वातावरण राज्यपाल महोदया के सामने प्रस्तुत किया गया उससे हमें तो शर्म आ रही है कि राज्यपाल यहां लेखा-जोखा प्रस्तुत करने आये, तो, अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं ...(व्यवधान)... जिन-जिन सदस्यों ने इस तरह का वातावरण पैदा किया उनको पूरे इस सत्र के लिए ...(व्यवधान)...

श्री रणवीर सिंह गुढा (गुढा) : माननीय अध्यक्ष महोदय, जो वातावरण सरकार के अन्दर इतने दिनों से देखा जा रहा है, जो मंत्री एक-दूसरे के ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप लगा रहे हैं, मंत्री एक-दूसरे के ऊपर खुल कर धडल्ले से भ्रष्टाचार के आरोप लगा रहे हैं, एक-एक मंत्री के पास करोड़ों रुपये, अरबों रुपये की सम्पत्ति पायी गयी है ...(व्यवधान)...

श्री विष्णु मोदी (मसूदा) : चपलोत साहब ने ...(व्यवधान)... निकाल दिया था इस तरह का बर्ताव करने वालों के लिए। ...(व्यवधान)...

श्री रणवीर सिंह गुढा (गुढा) : मंत्रियों के पास करोड़ों रुपये की बेनामी सम्पत्ति पायी गयी है। ...(व्यवधान)...

श्री विष्णु मोदी (मसूदा) : मैं इस सरकार से निवेदन करना चाहता हूं आपके माध्यम से कि जिन सदस्यों ने राज्यपाल महोदया के सामने इस तरह की परिस्थितियां पैदा की हैं उनके लिए आप निलम्बन का प्रस्ताव लेकर आएं। ...(व्यवधान)...

श्री रणवीर सिंह गुढा (गुढा) : यहां राज्यपाल महोदय को अभिभाषण नहीं पढ़ने दिया गया है।

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक) : मैं प्रक्रिया के नियम ...

व्यवस्था

किसी कारण से यदि राज्यपाल महोदय उसे पूरा नहीं पढ़ सके तो भी उसे पढ़ा हुआ माना जायेगा

श्री अध्यक्ष : आप प्रक्रिया के नियम से पहले मेरी बात सुन लीजिए आसन की तरफ से।

मैं माननीय सदस्यों की जानकारी में यह लाना चाहूंगी कि यह 22.2.1991 के अध्यक्षीय पीठ का दिया हुआ फैसला है और व्यवस्था यह है कि राज्यपाल महोदय अस्वस्थता के कारण या अन्य कारणों से, 'अन्य कारणों से' अपना अभिभाषण पूरा नहीं पढ़ सकें तो भी संविधान के अनुच्छेद 176 के अन्तर्गत उसे पढ़ा हुआ माना जायेगा।'

इसके अलावा एक बात और आपको बता दूं, वेस्ट बंगाल के अन्दर भी इस तरीके का मामला एक बार हुआ था और उसमें यही हुआ था, मैं आपको पढ़ कर सुनना चाहूंगी कि "In West Bengal, the Governor failed to deliver his Address to the Legislature on February 8, 1965 due to noisy disturbances and made up the failure by publication of the Address to the Members of the Legislature by laying the Address on the Table of the House. Dismissing the writ of mandamus, the Calcutta High Court observed that procedural failure should not be overemphasized, because

(श्री अध्यक्ष)

by laying a copy of the Governor's Address on the Table, the object of the Address was substantially served and the Members would become aware of the contents of the Address. The Court further observed that unless there grows a constitutional convention, the Governor's Address shall be heard with attention..."

डा. सी. पी. जोशी (नाथद्वारा) : हमें यह आब्जैक्शन नहीं है, स्पीकर महोदय ने कैसे कहा कि पढ़ा हुआ माना जायेगा? ...(व्यवधान)...

श्री अध्यक्ष : इसलिए मैं समझती हूं ...

डा. सी. पी. जोशी (नाथद्वारा) : आप कोट कर रहे हैं धर्मवीरजी का, बंगाल का कोट कर रहे हो, किसी का कोट कर रहे हो, उसमें स्पीकर का इण्टरवेन्शन नहीं है, आपने इण्टरवेन्शन किया है। यह कहां लिखा हुआ है, बताइये आप। यह कहां लिखा हुआ है?

श्री अध्यक्ष : अब आप सुन लीजिए। अब आप मुझे सुनिये।

डा. सी. पी. जोशी (नाथद्वारा) : यह कहां लिखा हुआ है? आप बताइये वो कहां लिखा हुआ है?

श्री अध्यक्ष : अब आप मुझे सुन लीजिए। मैंने सुना आपको, मुझे तो सुनिये आप। ...(व्यवधान)...

डा. सी. पी. जोशी (नाथद्वारा) : हम को आपने नहीं बुलाया ...(व्यवधान)... गवर्नर ने बुलाया है। ...(व्यवधान)...

श्री अध्यक्ष : आप दो मिनट सुनेंगे? आप मेरा भी सुनेंगे न क्यों कहा मैंने। मैंने इसलिए कहा ...

डा. सी. पी. जोशी (नाथद्वारा) : You are misquoting the judgment. There was no intervention by the Speaker.

श्री अध्यक्ष : मैंने इसलिए कहा कि मुझे उन्होंने कहा था, राज्यपाल महोदया ने..

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही) : आप जिस नजीर का जिक्र कर रहे हैं, अध्यक्ष महोदय, यह पूनमचंदजी के प्रस्ताव पर 1991 में यह फैसला हुआ है लेकिन उसके कन्टेंट दूसरे हैं, हमारा पाइंट आफ आर्डर दूसरा है।

श्री अध्यक्ष : नो, नो। सिरोही से आने वाले माननीय सदस्य, आप स्थान ग्रहण कर लें। ...(व्यवधान)... आप स्थान ग्रहण करें।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही) : आप इस नजीर से हमारे पाइंट आफ आर्डर की व्यवस्था नहीं दे सकतीं। ...(व्यवधान)... यह पाइंट ऑफ आर्डर दूसरा है।

श्री अध्यक्ष : आप स्थान ग्रहण करें।

डा. **सी. पी. जोशी** (नाथद्वारा) : आपने इण्टरविन किया है। आपने इण्टरविन करके किया है। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : मैंने क्यों कहा, वो तो सुनिये। (व्यवधान)

डा. **सी. पी. जोशी** (नाथद्वारा) : In what capacity? You are not supposed to do it. It was the Governor who was addressing. She was chairing the meeting. आपने कैसे इंटरविन किया।

श्री अध्यक्ष : अब आप सुनिये। अब आप क्यों खड़े हो गये। ...(व्यवधान)...

डा. **सी. पी. जोशी** (नाथद्वारा) : आपको सदाशयता से यह मानना चाहिए। ...(व्यवधान)... एक मिनट।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, वह काफी हैं, वह दोनों खुद सक्षम हैं बात करने में।

डा. **सी. पी. जोशी** (नाथद्वारा) : देवल साहब, एक मिनट बैठो।

श्री अध्यक्ष : मैं निवेदन यह कर रही हूं, मैंने क्यों कहा।

डा. **सी. पी. जोशी** (नाथद्वारा) : अध्यक्ष महोदय, सुनिये आप।

श्री अध्यक्ष : सुनिये तो सही। आप मुझे सुनेंगे पहले। मैंने इसलिए कहा कि राज्यपाल महोदया ने मुझे कहा कि चूंकि मैं अधिक देर खड़ी नहीं रह सकती हूं इसलिए मैं अब लास्ट पैराग्राफ पढ़ दूं। इसलिए कहा। ...(व्यवधान)...

अनेक माननीय सदस्य : नो, नो।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री) : यह कहा है, बिलकुल कहा है। बिलकुल कहा है। यही कहा है। यही कहा है। ...(व्यवधान)...

डा. ओ. पी. महेन्द्रा (सरकारी उप मुख्य सचेतक) : पहले जो कोट किया है अस्वस्थता का कारण था, आज भी गवर्नर साहब का अस्वस्थता का कारण था, यह उन्होंने कहा है।

श्री सांवर लाल (सिंचाई मंत्री) : नहीं, पर माननीय अध्यक्ष ने अगर रिक्वेस्ट की और गवर्नर साहब अगर सहमत हो गयीं तो आपको क्या तकलीफ है? क्या तकलीफ है? ...(व्यवधान)...

डा. सी. पी. जोशी (नाथद्वारा) : स्पीकर का अधिकार नहीं है, यह हमारा अधिकार है। ...(व्यवधान)...

एक माननीय सदस्य : माननीय अध्यक्ष महोदय, आसन की व्यवस्था को यदि चैलेंज किया जाए

श्री सांवर लाल (सिंचाई मंत्री) : ओवर आल संवैधानिक व्यवस्था यह है कि अगर गवर्नर अभिभाषण ...(व्यवधान)...

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक) : आसन को बोलने नहीं दिया जा रहा है।

श्री सांवर लाल (सिंचाई मंत्री) : आप क्यों परेशान हो रहे हो जब गवर्नर साहब ने टेबल कर दी सारी ?

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक) : और वरिष्ठ सदस्य आसन की व्यवस्था को चैलेंज करें इससे ज्यादा और दुर्भाग्य नहीं हो सकता ...(व्यवधान)

डा. सी. पी. जोशी (नाथद्वारा) : ..... गवर्नर और हाउस के बीच में आसन कहां होता है?

श्री अध्यक्ष : आपने तो उस आसन का भी पालन नहीं किया और इस आसन का भी नहीं कर रहे हैं, दोनों ही का नहीं कर रहे हैं। उनका भी नहीं किया आपने तो।

श्री शिवचरण माथुर (माण्डलगढ़) : जिस तरह से राज्यपाल महोदय यहां पधारीं, उनका अभिभाषण यहां पर देने का था, मैं समझता हूं सभी लोग उनको सुनने के लिए तैयार थे सिवाय अमराराम जी और दो तीन और सदस्यों के, मैं ऐसा मानता हूं कि जो स्थितियां पैदा हुई उन स्थितियों को आप टाल

(श्री शिवचरण माथुर)

सकती थीं, आपके हाथ में थी। आपने स्वयं यह कहा आज मैं अध्यक्ष नहीं हूं आज हाउस को यह चला रही हैं राज्यपाल महोदय और यह संविधान की व्यवस्था भी है, परम्परा भी है और मैं समझता हूं राज्यपाल महोदया जो राज्य सभा की वाइस चेयरमैन भी थीं, अच्छी तरह से जानती हैं नियमों को। अगर आप बीच में नहीं बोलती तो मैं समझता हूं ...(व्यवधान) आप इतने वरिष्ठ हैं मैं कह रहा हूं कि माननीय राज्यपाल, आप मेरी सुन तो लें ...(व्यवधान)

श्री घनश्याम तिवाड़ी (शिक्षा मंत्री) : आप इनके बीच में खड़े हो गये तो मैं भी आपके खड़ा हो सकता हूं यह क्या बात हुई।

श्री शिवचरण माथुर (माण्डलगढ़) : घनश्याम जी, आपसे मुझे उम्मीद यह नहीं है।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (शिक्षा मंत्री) : मुझे भी यह नहीं थी कि आप अध्यक्ष महोदय के बीच में खड़े होंगे। आप कैसे अध्यक्ष महोदय के बीच में खड़े हो गये इतने बड़े आदमी हैं।

श्री शिवचरण माथुर (माण्डलगढ़) : आप मेरे बाद कह लीजिए।

श्री सी. डी. देवल (रायपुर) : हाउस इनके कब्जे में है।

श्री अध्यक्ष : कब्जे में है तो आप क्यों ले रहे हो उस कब्जे को, आप क्यों छीन रहे हो कब्जा ?

श्री शिवचरण माथुर (माण्डलगढ़) : आपने व्यवस्था दी थी और मैं यह कह रहा हूं कि इस स्थिति को आसानी से टाल सकते थे। उन्होंने खुद दो बार कहा। आपकी बात मैंने सुन ली है और आप इसके बाद जब भी बहस होगी आप चर्चा कर सकते हैं, एक बार उन्होंने यह कहा कि आप गुड जैस्चर दिखाइये। बहुत नम्रता से उन्होंने यह बात कही। हम सब लोग भी अमराराम जी से यह बात कह रहे थे कि हो गया आपका जो विरोध था आपने जता दिया। अब मैं समझता हूं ऐसा कोई बहुत बड़ा प्रोवोकेशन नहीं था। अभी दो दिन पहले 26 तारीख को जब रेल बजट पेश हुआ, सारे देश की सौ करोड़ जनता लालू प्रसादजी से यह उम्मीद कर रही थी बहुत शानदार बजट पेश होगा और आपकी पेरेण्ट बाडी।

श्री अध्यक्ष : मंत्री को आप इक्वेट नहीं करिए राज्यपाल से। आप मंत्री को इक्वेट कर रहे हैं राज्यपाल से।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री) : महामहिम राज्यपाल महोदय संवैधानिक प्रमुख हैं हमारी। संवैधानिक प्रमुख का अपमान किया है आप लोगों ने ।

श्री अध्यक्ष : आप राज्यपाल से इक्वेट कर रहे हैं क्या बात हुई?

श्री शिवचरण माथुर (माण्डलगढ़) : आप मेरी बात पूरी सुनिये। मैं यह कह रहा था कि ऐसा कोई प्रोवोकेशन भी नहीं था। आपकी पेरेंट बाडी बी जे पी ने सारे टाइम लालू प्रसादजी का भाषण नहीं सुना।

श्री अध्यक्ष : यह मंत्री बोले तब आप कर सकते हो, राज्यपाल से इक्वेट न करें आप उसे, क्या बात हुई ...(व्यवधान)

श्री शिवचरण माथुर (माण्डलगढ़) : उन्होंने आपसे कहा था कि मैं नहीं पढ़ना चाहती ...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : बोलने दो वह क्या कहना चाह रहे हैं आप बीच में क्यो बोलते हो ? बोल लेने दो उनको आप हाथ क्यों उठा रहे हो, उन्हें बोलने दो ना आप।

श्री शिवचरण माथुर (माण्डलगढ़) : मैं आपको यह कह रहा हूं कि यह स्थिति टाली जा सकती थी जिसको नहीं टाला और आप प्रोएक्टिव हो गईं उससे समस्या बढ़ी है। मैं समझता हूं कि पुरानी परम्पराएं भी हैं हाउस की कि ऐसे मौके पर सरकार कह दे कि जो कुछ भी हुआ है उसको हम भी ठीक नहीं मानते और मामला समाप्त करना चाहिए। इतनी लम्बी बहस करने का सवाल कहां उठता है। लेकिन मैं यह मानता हूं कि जो हुआ वह सही नहीं हुआ राज्यपाल महोदय पढ़ना चाहती थीं, उन्होंने पढ़ने से कभी इन्कार नहीं किया और दो बार उन्होंने इंटरविन भी किया।

श्री सांवर लाल (सिंचाई मंत्री) : जब स्पीकर महोदया कह रही हैं कि यह मुझे उन्होंने कहा कि मैं नहीं पढ़ सकती हूं तो फिर आप उस बात को भी नहीं मान सकते हो क्या। आपको कहा क्या कि पढ़ना चाहती हूं ।

श्री अध्यक्ष : मैं आपको मौका दूंगी प्लीज सिट डाउन। राज्यपाल महोदय ने रात को मेरे पास अपनी प्राइवेट सेक्रेटरी मीनाक्षी हूजा को भेजा और मुझे उन्होंने कहा कि मैं अधिक देर तक नहीं पढ़ पाऊंगी इसलिए मेरे भाषण को अन्तिम करके पढ़ा हुआ समझ लिया जावे, यह व्यवस्था आप कर देना। चूंकि मैं किसी को इशारा नहीं कर सकती थी इसलिए मैंने उनको खुद ही कह दिया। मैं गलत नहीं कह रही हूं आपसे, आप पूछ लीजिएगा उन्होंने कहा कि मेरे पांव में दर्द है मैं अधिक देर तक खड़ी नहीं रह सकती हूं, मैं थोड़ा सा ही पढ़ूंगी, यह उन्होंने कहलवा दिया था मुझे।

श्री जुबेर खान (रामगढ़) : अध्यक्ष महोदय, जो आपने 1991 का हवाला दिया है आप प्रोसीडिंग्स निकलवा लीजिए, सदन की अनुमति ली गई थी आप 1991 की प्रोसीडिंग्स निकलवा लीजिए, सदन से अनुमति ली गई थी कि क्या महामहिम राज्यपाल महोदय के अभिभाषण को पढ़ा हुआ मान लिया जाए और वहां सदन ने अनुमति दी थी और उस सदन के सदस्य आज टोंक से आने वाले माननीय सदस्य बैठे हैं, चूरू से आने वाले माननीय सदस्य बैठे हैं, नगर से आने वाले बैठे हैं।

श्री अध्यक्ष : मैंने आपको 1991 की व्यवस्था पढ़कर सुना दी।

श्री जुबेर खान (रामगढ़) : 1991 में अनुमति ली गई थी आप रिकार्ड दिखवा लीजिए ...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : उसे पढ़ा हुआ माना जाएगा, रख देंगे तो भी पढ़ा हुआ माना जाएगा, मैंने आपको सुना दिया और क्या चाहते हैं आप?

डा. बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर) : आप तो स्पीकर साहब सबसे पुराने सदस्यों में से हैं आप बता दीजिए कभी राज्यपाल के अभिभाषण को पढ़ा हुआ मान लिया जाए ऐसा प्रस्ताव कभी स्पीकर ने प्रस्तुत किया है? ऐसी परम्पराएं रही हैं कि चीफ व्हिप या संसदीय कार्य मंत्री प्रस्ताव लेकर आए हों और उसको सदन की अनुमति मिली हो तब पढ़ा हुआ माना गया है। इसलिए यहां पर दो परम्पराओं का उल्लंघन हुआ है एक तो प्रस्ताव आना चाहिए था चीफ व्हिप या संसदीय कार्य मंत्री के माध्यम से और दूसरा उल्लंघन यह हुआ है कि सदन की अनुमति नहीं ली गई। जब यह प्रस्ताव आता तो सदन सर्वोपरि है, सदन से बड़ा कोई नहीं है, सदन से अनुमति ली जानी चाहिए थी।

श्री अध्यक्ष : पढ़कर सुना दी थी ना 1991......

डा. बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर) : नहीं नहीं, यह ऐसा हो सकता है लेकिन इसके लिए प्रक्रिया है सदन की अनुमति ली जाती है । मैं आपको जब भी सदन एडजोर्न होगा, आपको लाइब्रेरी से प्रोसिडिंग निकाल कर बता दूंगा। इसमें साफ लिखा हुआ है कि सदन की अनुमति ली जानी चाहिये। इन दोनों परम्पराओं का उल्लंघन हुआ है। मैं समझता हूं मुख्य मंत्रीजी को माफी मांगनी चाहिये। ...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आपको उदाहरण बता दिया, आपको पढकर सुना दिया और क्या चाहते हैं आप ? ...(व्यवधान)

डा. बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर) : चीफ व्हिप इस बात को जानते हैं, लेकिन जान-बूझकर प्रस्ताव नहीं लेकर आये। ...(व्यवधान)

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक) : किसी वकील ने यह कहा हो, मैं बाद में लाकर बता दूंगा। आप मुझे बता दें तो मैं कल्ला साहब का कायल रहूंगा। आज तक किसी प्रिसाइडिंग आफिसर के सामने या माननीय अध्यक्ष महोदय के सामने यह कहा गया हो कि मैं बाद में आपको लाकर यह फलां कानून लाकर बता दूंगा। ...(व्यवधान).....

डा. बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर) : अभी लाकर बता दूं, आप 10 मिनट एडजोर्न कर दें। लाइब्रेरी जाना पड़ेगा,अभी लाकर बता दूंगा।

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक) : तैयार होकर आना पड़ता है। ...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : ऐसे नहीं होता है। ऐसे एडजोर्न नहीं होता है। ऐसे लाकर नहीं दिखाया जाता है। ...(व्यवधान)

डा. बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर) : कभी स्पीकर प्रस्ताव लेकर नहीं आये हैं। मैं आपको कोट कर रहा हूं। सुखदेव प्रसादजी के वक्त का कोट किया और जब खेतसिंह जी चीफ व्हिप थे, उस समय का कोट किया, दोनों वक्त में कभी स्पीकर प्रस्ताव लेकर नहीं आये, हमेशा चीफ व्हिप या संसदीय कार्य मंत्री प्रस्ताव लेकर के आये हैं और उसके लिये सदन की अनुमति ली गयी है और आप जानते हुए भी गलत परम्पराओं से चलाना चाहते हो। यह सदन का अपमान है और यह हम नहीं होने देंगे।

श्री सी. डी. देवल (रायपुर) : अध्यक्ष महोदय, क्या हाई कोर्ट का रूल इस विधान सभा पर लागू होगा। आपने गवर्नर को इस बात के लिये आदेश दिया कि वह आखिरी पैरा पढ़ें, क्योंकि कभी गवर्नर ने यह नहीं कहा, यह आपका आदेश था। अगर स्पीकर आदेश दे तो ऐसी परम्परा, रूलिंग आप कोई बता दें, या चीफ व्हिप बता दें जिसमें स्पीकर ने आदेश दिया हो, अगर गवर्नर रिक्वेस्ट करते तो भी हम मान लेते।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही) : 1962 में इसी विधान सभा में राज्यपाल महोदय के अभिभाषण (व्यवधान)......यह व्यवस्था दी गयी, वह पढ़कर आपको सुना रहा हूं। (व्यवधान)... विधान सभा में राज्यपाल महोदय जब अपना अभिभाषण पढ़ रहे थे ..

श्री अध्यक्ष : 1962 के बाद 1991 की व्यवस्था हो गयी और जो बाद में दी हुई व्यवस्था है, वही लागू होती है। (व्यवधान)......

श्री सी. डी. देवल (रायपुर) : क्या कभी स्पीकर ने गवर्नर को अन्तिम पैरा पढ़ने के लिये बाध्य किया ? (व्यवधान)......

श्री ओ.पी. महेन्द्रा (उप मुख्य सचेतक) : इस विषय पर व्यवस्था दे दी, उसको हाउस ने स्वीकार कर लिया फिर इस विषय पर पुन: चर्चा करने की कहां आवश्यकता रहती है, सभी ने स्वीकार किया है। पूरे विपक्ष ने स्वीकार किया है फिर पुन: इस पर चर्चा की कहां आवश्यकता रहती है ? (व्यवधान)......

श्री सी. डी. देवल (रायपुर) : यह आपका कोई अधिकार नहीं है, यह अधिकारों का हनन है। यह गवर्नर के अधिकारों का हनन है। (व्यवधान)......

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही) : राज्यपाल महोदय जब अपना अभिभाषण पढ़ रहे थे तो विपक्ष ने यह सुझाव दिया था कि इसका शेष भाग पढ़ा हुआ मान लिया जाए। हमारा कहने का आशय यही है कि यह प्रस्ताव आना चाहिए था। चाहे सदन की नेता की तरफ से आता, चाहे सदन के किसी भी सदस्य की तरफ से आता, चाहे गवर्नर की तरफ से आता।

श्री टीकमचन्द कान्त : अध्यक्ष महोदय, क्या अभी हम राज्यपाल द्वारा लिये गये निर्णय पर बहस कर रहे हैं या उसको चैलेंज कर रहे हैं । राज्यपाल

(श्री टीकमचन्द कान्त)

महोदय ने आपके कहने से, आपके सुझाव से परिस्थितियां ऐसी थीं हाउस में, आप उनके साथ बैठी थीं और उस समय अगर भलमनसाहत के कारण से ही या यहां की परिस्थितियों को सामने रखकर अगर आपने उनको सुझाव दे दिया और उन्होंने मान लिया तो यह निर्णय राज्यपाल महोदय का हुआ और राज्यपाल महोदय के निर्णय को अब चैलेंज यह हाउस कर रहा है, क्या यह उचित है?

नम्बर एक। नम्बर दो, व्यवस्थाएं अध्यक्ष देते हैं। समय-समय पर देते हैं और 191 की व्यवस्था वह भी दी गयी थी अध्यक्ष पद से और आज मैं चाहूंगा इन परिस्थितियों के अन्दर जो कुछ भी हुआ है उस पर भी आज एक नयी व्यवस्था आप दे दें ताकि आगे यह काम आयेगी।

श्री अध्यक्ष : ठीक बात है। बिलकुल ठीक है। हां बोलिये।

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं प्रक्रिया के नियम 292 के अन्तर्गत निलम्बन प्रस्ताव की सूचना देता हूं... (व्यवधान)

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली) : यह सदन नहीं चलाना चाहते हैं। यह सरकार फेस नहीं कर सकती है। जिस प्रकार का ..(व्यवधान) इस प्रकार का निर्णय हुआ, इस प्रकार का निर्णय होगा तो हम चुप नहीं बैठेंगे..(व्यवधान)

डा. **सी. पी. जोशी** (नाथद्वारा) : अध्यक्ष महोदय, आप पाइंट आफ आर्डर की व्यवस्था कर रहे हैं कि यह प्रस्ताव मूव कर रहे हैं ? एक्सपर्सन क्या है ? ..(व्यवधान) अध्यक्ष महोदय, यह गलत परम्परा डाल रहे हैं...(व्यवधान)

डा. **बुलाकीदास कल्ला** (बीकानेर) : पाइंट आफ आर्डर निपटा ही नहीं यह प्रस्ताव आ गया...(व्यवधान)

डा. **सी. पी. जोशी** (नाथद्वारा) : अध्यक्ष महोदय, आप तो ओबीच्युरी की बात कर रहे थे यह कौनसा प्रस्ताव लेकर आ रहे हैं आप ? यह भारतीय जनता पार्टी तो कुछ भी नहीं कर पायेगी...(व्यवधान) अध्यक्ष महोदय, आप तो ओबीच्युरी की बात कर रहे थे..(व्यवधान) अध्यक्ष महोदय, आप बहुत गलत परम्पराओं का निर्वहन कर रहे हैं यहां पर। आप तो ओबीच्युरी की बात कर रहे थे, यह ओबीच्युरी है ? आपको ओबीच्युरी की बात करनी चाहिये अभी, प्रस्ताव कहां से आ गया ? प्रस्ताव तो कल आता आज कैसे प्रस्ताव आ गया ?

सदस्य का निलम्बन

अमराराम (धोद), रणवीर सिंह (गुढा), सुरेश मीणा एवं मुरारीलाल मीणा, सर्वश्री का सत्र की शेष अवधि हेतु निलम्बन

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक) : महोदय, आज दिनांक 1 मार्च, 2007 को जब महामहिम राज्यपाल महोदय अपना अभिभाषण प्रारम्भ करने वाली थीं उसी समय श्री अमराराम (धोद) अपने स्थान से जोर-जोर से बोलने लग गये। महामहिम द्वारा उनको कहने पर कि 'आप बैठ जाइए आपकी बात मेरी समझ में आ गयी है और आप वाद विवाद के समय इस मुद्दे को उठाएं।' किन्तु वे उनके निर्देशों एवं अनुरोध को नजरअंदाज करते हुए लगातार हो-हल्ला करते हुए महामहिम की अवहेलना करते रहे। इसके साथ ही श्री रणवीर सिंह (गुढा), श्री सुरेश मीणा एवं श्री मुरारी लाल मीणा भी हो-हल्ला एवं अमर्यादित आचरण करते हुए महामहिम के अभिभाषण में व्यवधान उत्पन्न करने लगे एवं अपना स्थान छोड़कर वैल में आ गये एवं जोर-जोर से नारेबाजी की। महामहिम राज्यपाल महोदया ने इन सभी माननीय सदस्यों से कई बार अनुरोध किया कि वे अपने स्थान ग्रहण करें एवं उनके अभिभाषण को सुनें किन्तु उन्होंने महामहिम के संवैधानिक पद की मर्यादाओं, संविधान की भावनाओं एवं इस सदन की स्वस्थ परम्पराओं का लगातार उल्लंघन किया। साथ ही सदन के विशेषाधिकार का हनन भी किया है। उक्त माननीय सदस्यों का यह रवैया इरादतन अपमानजनक, आसन की अवहेलना व सदन की कार्यवाही को बाधित करने वाला रहा है। (व्यवधान)

अंतः मैं प्रस्ताव करता हूं कि संसदीय परम्पराओं एवं सदन की मर्यादाओं की रक्षा के लिये प्रक्रिया के नियम 292 के तहत उक्त आचरण हेतु माननीय सदस्य श्री अमराराम (धोद), श्री रणवीर सिंह (गुढा), श्री सुरेश मीणा एवं श्री मुरारी लाल मीणा को विधान सभा सत्र की शेष अवधि के लिये सदन से निलम्बित किया जाय। (व्यवधान)

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली) : सरकार नहीं चाहती है कि यह सदन चले। सरकार भागना चाहती है इस प्रकार से गलत प्रस्ताव करके। सरकार नहीं चाहती है कि इनके भ्रष्टाचार पर विचार हो। सरकार नहीं चाहती है कि इन्होंने विधान का किस प्रकार से उल्लंघन किया उस पर विचार हो। सरकार नहीं

(श्री हरिमोहन शर्मा)

चाहती है कि राजस्थान की समस्याओं पर किस प्रकार से विचार हो। सरकार अलोकतांत्रिक कदम उठाकर जो गलत प्रस्ताव पेश कर रही है माननीय अध्यक्ष महोदय, आपको इसका प्रतिरोध करना चाहिये...(व्यवधान) आप यही चाहते हो तो चलाओ सदन...(व्यवधान) कतई गलत परम्परा है..(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : जो प्रस्ताव महावीर प्रसाद जी जैन, सरकारी मुख्य सचेतक ने प्रस्तुत किया है उसे स्वीकार किया जाए ?

(स्वीकृत)

प्रस्ताव स्वीकार किया गया।

(प्रतिपक्ष के माननीय सदस्यों द्वारा सदन कूप में नारेबाजी)

माननीय सदस्यगण, शोकाभिव्यक्ति का प्रस्ताव पेश करने जा रही हूं मैं। आपको हाय-हाय करनी है बाद में करना। शोकाभिव्यक्ति पास कर लेने दीजिये।..(व्यवधान) वापस नहीं लेंगे। वापस मैं क्या करूंगी, वह लेंगे। मैं क्या करूंगी वापस ? How can ? ऐसे करोगे तो विपक्ष भी नहीं बचायेगा। यह धंधे करोगे तो वह भी होगा..(व्यवधान) ऐसे धंधे करोगे, यह भी करोगे, यहां आकर नारे लगाओगे तो वह भी निकलेंगे। उनको भी निकालेंगे...(व्यवधान) देखिये आपका मतलब यह है कि आप शोकाभिव्यक्ति भी पास नहीं करना चाहते। शोकाभिव्यक्ति का प्रस्ताव भी पास नहीं करना चाहते ..(व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री) : अध्यक्ष महोदय, पहले महामहिम राज्यपाल का अपमान इस सदन में हो उसके बाद वह दिवंगत आत्माएं जो इस सदन के सदस्य रहे हैं उनको श्रद्धांजलि देने का प्रस्ताव आए इस पर भी चर्चा नहीं करना। शोकाभिव्यक्ति के प्रस्ताव पर भी जो लोग सुनना नहीं चाहें मैं समझता हूं शर्मनाक बात है यह।

(प्रतिपक्ष के माननीय सदस्यों द्वारा सदन कूप में नारेबाजी)

श्री अध्यक्ष : कौन चला रहा है राजशाही ? कौन चला रहा है ? कौन चला रहा है राजशाही ..(व्यवधान)

सदन की कार्यवाही 12 बजकर 45 मिनट तक के लिये स्थगित की जाती है।

(तदनन्तर सदन की बैठक 12.28 बजे दिनांक 1 मार्च, 2007 को 12.45 बजे तक के लिये स्थगित हुई।)

(समय:12.45 बजे)

(पुनः समवेत होने पर)

(श्री रामनारायण विश्नोई, उपाध्यक्ष, पदासीन)

श्री उपाध्यक्ष : सदन की कार्यवाही 1.15 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।

(तदनन्तर सदन की कार्यवाही 13.15 बजे तक के लिए स्थगित हुई।)

(13.15 बजे)

(पुनः समवेत् होने पर)

(श्रीमती सुमित्रा सिंह, अध्यक्ष, पदासीन)

(प्रतिपक्ष के माननीय सदस्यों द्वारा सदन कूप में धरना व नारेबाजी)

शोकाभिव्यक्ति

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, शोकाभिव्यक्ति के इस अवसर पर मैं गत दिनों दिवंगत हुए असम के पूर्व राज्यपाल श्री देवी दास ठाकुर, मध्यप्रदेश के पूर्व मुख्य मंत्री श्री श्यामाचरण शुक्ल, इस विधान सभा के पूर्व सदस्य एवं पूर्व मंत्री श्री गुलाब सिंह शक्तावत, श्री शिवनाथ सिंह, श्री अर्जुन दास मदान, श्री अमरचन्द मिढ़ा, श्रीमती रतनकंवर, श्री अब्दुल रहमान चौधरी, श्री माणक लाल ठाकोर, श्री मोहर सिंह, श्रीमती शकुन्तला श्रीवास्तव, श्री किशोरीलाल शर्मा, श्री विजय सिंह, श्री छोटू सिंह आर्य तथा श्री बालमुकुन्द के प्रति संवेदना व्यक्त करते हुए यह शोक प्रस्ताव प्रस्तुत करती हूं। यह शोक प्रस्ताव पास कर रही हूं आपके पूर्व सदस्यों के प्रति।

देवीदास ठाकुर, श्री, पूर्व राज्यपाल असम

असम के पूर्व राज्यपाल श्री देवी दास ठाकुर का जन्म 9 दिसम्बर, 1929 को डोडा जिले की रामबन तहसील के बटरू ग्राम में हुआ। आपने बी.ए., एलएल.बी की उपाधियां प्राप्त कीं।

श्री देवीदास ठाकुर दिनांक 2 मई, 1990 से 17 मार्च, 1991 तक असम के राज्यपाल पद पर आसीन रहे। इस अवधि के दौरान 9 मई, 1990 से 17 मार्च, 1991 तक आपके पास अरुणाचल प्रदेश के राज्यपाल का अतिरिक्त कार्यभार

(श्री अध्यक्ष)

भी रहा। वर्ष 1991 में आपने राज्यपाल पद से त्याग पत्र दे दिया तथा गोहाटी हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के सदस्य बने। श्री ठाकुर उत्तरी पूर्वी सात राज्यों की आर्थिक परिषद् के सभापति भी रहे।

अधिवक्ता के रूप में अपने सार्वजनिक जीवन की शुरूआत करने वाले श्री ठाकुर ने 1956 में प्रजा समाजवादी पार्टी की सदस्यता ग्रहण की। आप वर्ष 1973 में जम्मू-कश्मीर उच्च न्यायालय के न्यायाधीश बनाए गए।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): शोकाभिव्यक्ति में तो शर्म करो। शोकाभिव्यक्ति है, शर्म करो कुछ तो।

श्री अध्यक्ष: वर्ष 1975 में आपने इस पद से त्याग पत्र दे दिया। इसके बाद शेख मोहम्मद अब्दुला के मंत्रीमण्डल में आपको वित्त मंत्री बनाया गया। श्री ठाकुर वर्ष 1984 से 1986 तक जी.एम. शाह मंत्रीमण्डल में उप मुख्य मंत्री रहे।

अध्ययन में रुचि रखने वाले श्री ठाकुर ने नई दिल्ली से प्रकाशित होने वाली एक पत्रिका का सम्पादन किया। 'माई लाइफ एण्ड इयर्स इन कश्मीर पोलिटिक्स' शीर्षक से आपकी आत्मकथा प्रकाशित हुई है।

श्री देवीदास ठाकुर का दिनांक 3 फरवरी, 2007 को निधन हो गया।

श्यामाचरण शुक्ला, श्री, पूर्व, मुख्य मंत्री मध्य प्रदेश

मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्य मंत्री श्री श्यामाचरण शुक्ल का जन्म दिनांक 27 फरवरी, 1925 को अविभाजित मध्य प्रदेश के रायपुर में हुआ। आपने बी.एससी, एलएल.बी. की उपाधियां प्राप्त कीं।

श्री श्यामाचरण शुक्ल दूसरी से पांचवीं तथा नौंवी से ग्यारहवीं मध्य प्रदेश विधान सभा के सदस्य रहे। आप दूसरी मध्य प्रदेश विधान सभा के लिए बिन्दरनवागढ़ निर्वाचन क्षेत्र से तथा छह बार राजिम निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचित हुए। श्री शुक्ल मार्च, 1969 से जनवरी, 1972, दिसम्बर, 1975 से अप्रेल, 1977 तथा दिसम्बर, 1989 से मार्च, 1990 तक मध्य प्रदेश के मुख्य मंत्री पद पर आसीन रहे। श्री शुक्ल वर्ष 1963 से 1967 तक विधान सभा में कांग्रेस पार्टी के सचेतक तथा वर्ष 1967 से 1969 एवं 1990 से 1992 तक मध्य प्रदेश विधान सभा में प्रतिपक्ष के नेता रहे। आप वर्ष 1967 में सिंचाई मंत्री भी रहे।

(श्री अध्यक्ष)

श्री शुक्ल तेरहवीं लोक सभा में मध्य प्रदेश के महासमुन्द निर्वाचन क्षेत्र से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सांसद रहे। आप लोक सभा में पेट्रोलियम और रसायन सम्बन्धी समिति तथा रक्षा मंत्रालय की परामर्शदात्री समिति के सदस्य रहे। पत्रकारिता में रुचि रखने वाले श्री शुक्ल छत्तीसगढ़ के पहले दैनिक 'महाकौशल' के संस्थापक सम्पादक रहे। आपने इस समाचार पत्र का लगभग 21 वर्ष तक सम्पादन किया।

श्री शुक्ल 17 वर्ष की आयु में ही स्वतंत्रता आन्दोलन में सम्मिलित हो गए थे। इनके जीवन पर महात्मा गांधी, डा. राजेन्द्र प्रसाद और पं. जवाहर लाल नेहरू जैसे नेताओं के सानिध्य का गहरा प्रभाव पडा। मृदुभाषी, मिलनसार और सहृदय व्यक्तित्व के धनी श्री शुक्ल ने मध्य प्रदेश के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।

श्री श्यामाचरण शुक्ल का दिनांक 14 फरवरी, 2007 को निधन हो गया।

(प्रतिपक्ष के माननीय सदस्यों द्वारा सदन कूप में लगातार नारेबाजी)

..(व्यवधान).. गुलाबसिंह जी शक्तावत का शोक प्रस्ताव पेश कर रही हूं।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): जिंदा थे तब भी गुलाब सिंह जी को नहीं चाहते थे। गुलाब सिंह जी शक्तावत का नाम आ रहा है। गुलाब सिंह जी को तो श्रद्धांजलि दे दो। ..(व्यवधान)..

गुलाबसिंह शक्तावत, श्री, पूर्व मंत्री

श्री अध्यक्ष: पूर्व मंत्री श्री गुलाब सिंह शक्तावत का जन्म 22 अप्रैल, 1928 को उदयपुर जिले के भीण्डर कस्बे में हुआ। आपने बी.ए. की उपाधि प्राप्त की।

श्री गुलाब सिंह शक्तावत दूसरी, चौथी, पांचवीं, आठवीं, दसवीं तथा ग्यारहवीं राजस्थान विधान सभा में वल्लभनगर निर्वाचन क्षेत्र से कांग्रेस के विधायक रहे। श्री शक्तावत वर्ष 1973 से 1977 तक राजस्थान सरकार में गृह राज्य मंत्री, मार्च, 1985 से जनवरी, 1988 तक सिंचाई, ऊर्जा, सार्वजनिक निर्माण, समाज कल्याण, महिला कल्याण, गृह और जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, दिसम्बर, 1989 से मार्च, 1990 तक खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति, अकाल, बाढ़ एवं पुनर्वास तथा स्वायत्त शासन विभाग, दिसम्बर, 1998 से

(श्री अध्यक्ष)

मार्च, 2000 तक सहकारिता, सहायता एवं पुनर्वास विभाग तथा मार्च, 2000 से दिसम्बर, 2003 तक गृह विभाग के मंत्री रहे। श्री शक्तावत विधान सभा के अपने दीर्घ कार्यकाल के दौरान सामान्य प्रयोजनों संबंधी समिति और पेयजल समस्या समाधान समिति के सदस्य तथा अधीनस्थ विधान संबंधी समिति के सभापति रहे।

अपने सार्वजनिक जीवन में आप वर्ष 1952 में ग्राम पंचायत, भीण्डर के सरपंच, वर्ष 1964 से 1966 तक भीण्डर नगरपालिका के अध्यक्ष, वर्ष 1966 से 1972 तक उदयपुर सेन्ट्रल को-आपरेटिव बैंक के अध्यक्ष और इसके बाद राजस्थान स्टेट को-ऑपरेटिव बैंक के संचालक तथा अध्यक्ष रहे। श्री शक्तावत उदयपुर विश्वविद्यालय के बोर्ड आफ कन्ट्रोल के सदस्य तथा जावर माइन्स मजदूर संघ के मंत्री भी रहे। राजनैतिक जीवन के आरम्भ से ही कांग्रेस से सम्बद्ध रहे श्री शक्तावत पार्टी संगठन में विभिन्न पदों पर आसीन रहे। अध्ययन में रुचि रखने वाले श्री शक्तावत वर्ष 1957 से 1960 तक साप्ताहिक पत्र 'प्रगति' के प्रधान सम्पादक रहे। श्री शक्तावत के निधन से राजस्थान में एक कुशल राजनेता की कमी हो गई है।

श्री गुलाब सिंह शक्तावत का दिनांक 9 नवम्बर, 2006 को निधन हो गया।

(प्रतिपक्ष के माननीय सदस्यों द्वारा सदन कूप में लगातार नारेबाजी)

शिवनाथ सिंह, श्री, पूर्व सदस्य

पूर्व विधायक श्री शिवनाथ सिंह का जन्म 11 मई, 1925 को झुंझुनू जिले के धमोरा ग्राम में हुआ। आपने राजस्थान विश्वविद्यालय से बी.काम., एलएल.बी की उपाधियां प्राप्त कीं।

श्री शिवनाथ सिंह दूसरी, चौथी, दसवीं तथा ग्यारहवीं राजस्थान विधान सभा से गुढ़ा निर्वाचन क्षेत्र से विधायक निर्वाचित हुए। आपने दसवीं विधान सभा में निर्दलीय तथा दूसरी, चौथी तथा ग्यारहवीं राजस्थान विधान सभा में कांग्रेस का प्रतिनिधित्व किया। विधान सभा के कार्यकाल के दौरान आप सरकारी आश्वासनों संबंधी समिति के सभापति तथा प्रश्न एवं संदर्भ समिति और जनलेखा समिति के सदस्य रहे। श्री शिवनाथ सिंह पांचवीं लोकसभा के लिए वर्ष 1971 में झुंझुनूं निर्वाचन क्षेत्र से कांग्रेस के सांसद निर्वाचित हुए।

(श्री अध्यक्ष)

आपने वर्ष 2003 में श्रीलंका में आयोजित राष्ट्रमण्डल संसदीय संघ की द्वितीय एशिया क्षेत्रीय सेमिनार में राजस्थान शाखा का प्रतिनिधित्व किया।

अपने सार्वजनिक जीवन में आप वर्ष 1952 से 1959 तक झुंझुनूं जिला बोर्ड के सदस्य, वर्ष 1965 से 1967 तक पंचायत समिति, उदयपुरवाटी के प्रधान तथा वर्ष 1982 से 1985 तक राजस्थान राज्य सहकारी संघ के अध्यक्ष रहे। आप झुंझुनूं जिला परिषद तथा जिला विकास अभिकरण के सदस्य भी रहे। प्रारम्भ से ही कांग्रेस से सम्बद्ध रहे श्री शिवनाथ सिंह प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सदस्य तथा झुंझुनूं जिला कांग्रेस कमेटी की कार्यकारिणी समिति के सदस्य भी रहे। अध्ययन में विशेष रुचि रखने वाले श्री शिवनाथ सिंह के 'अमर शहीद' तथा 'श्री भागीरथ मल स्वामी का जीवन परिचय' प्रकाशित हुए। संसदीय विषयों पर भी आपके आलेख विभिन्न पत्र-पत्रिकाओं में प्रकाशित हुए हैं। सरल, मृदुभाषी तथा संसदीय विषयों पर गहरी पकड़ तथा सूझबूझ रखने वाले श्री शिवनाथ सिंह के निधन से प्रदेश ने एक कुशल जन नेता खो दिया है।

श्री शिवनाथ सिंह का दिनांक 17 फरवरी, 2007 को निधन हो गया।

अर्जुनदास मदान, श्री, पूर्व सदस्य

पूर्व विधायक श्री अर्जुनदास मदान का जन्म 22 अगस्त, 1936 को पाकिस्तान के झंग जिले के नैकूकारा ग्राम में हुआ। आपने उदयपुर से एम.ए. की उपाधि प्राप्त की।

श्री अर्जुनदास मदान नौवीं तथा दसवीं राजस्थान विधान सभा के लिए लाडपुरा निर्वाचन क्षेत्र से भारतीय जनता पार्टी के विधायक निर्वाचित हुए। विधान सभा के कार्यकाल के दौरान आप अधीनस्थ विधान संबंधी समिति, याचिका समिति, विशेषाधिकार समिति, राजकीय उपक्रम समिति तथा राजस्थान आवासन मण्डल के कार्यकलापों की जांच संबंधी समिति के सदस्य रहे।

श्री मदान अपने सार्वजनिक जीवन में राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, रेलवे परामर्शदात्री समिति तथा होलसेल उपभोक्ता भण्डार, कोटा के संचालक मण्डल के सदस्य रहे। आप लगभग पन्द्रह वर्ष तक जे.के. सिन्थेटिक्स एम्प्लाइज को-ऑपरेटिव सोसाइटी के सचिव सहित जे.के. संस्थान में श्रम

(श्री अध्यक्ष)

कल्याण अधिकारी, मुख्य कल्याण अधिकारी, प्रबन्धक आदि पदों पर रहे। तीन वर्ष तक आप जिला सहकारी संस्थान, कोटा के मानद सचिव भी रहे। सामाजिक एवं धार्मिक कार्यों में रुचि रखने वाले श्री मदान भारतीय जनता पार्टी संगठन में कोटा जिला इकाई के वरिष्ठ उपाध्यक्ष तथा प्रदेश कार्य समिति के सदस्य भी रहे।

श्री अर्जुनदास मदान का दिनांक 22 नवम्बर, 2006 को निधन हो गया।

अमरचन्द मिढ़ा ,श्री, पूर्व सदस्य

पूर्व विधायक श्री अमरचन्द मिढ़ा का जन्म जनवरी, 1928 को श्री गंगानगर जिले की श्रीविजयनगर तहसील के बिलोचिया ग्राम में हुआ। आपने भावलनगर (पाकिस्तान) से मैट्रिक तक शिक्षा प्राप्त की।

श्री अमरचन्द मिढ़ा दसवीं राजस्थान विधान सभा के लिए सूरतगढ़ निर्वाचन क्षेत्र से भारतीय जनता पार्टी के विधायक निर्वाचित हुए। विधान सभा के कार्यकाल के दौरान आप राजकीय उपक्रम समिति के सदस्य रहे।

समाज सेवा तथा गरीबोत्थान के लिए प्रयत्नशील रहे श्री मिढ़ा वर्ष 1952 से 1960 तथा वर्ष 1965 से 1974 तक श्रीविजयनगर ग्राम पंचायत के सरपंच रहे। आप पंचायत समिति रायसिंहनगर के उप प्रधान भी रहे।

विकास कार्यों में रुचि रखने वाले श्री अमरचन्द मिढ़ा का दिनांक 17 दिसम्बर, 2006 को निधन हो गया।

रतनकंवर, श्रीमती, पूर्व विधायिक

पूर्व विधायक श्रीमती रतन कंवर का जन्म वर्ष 1915 में बस्तवा ग्राम में हुआ।

श्रीमती रतन कंवर आठवीं राजस्थान विधान सभा के लिए शेरगढ़ निर्वाचन क्षेत्र से भारतीय जनता पार्टी की विधायक निर्वाचित हुई। विधान सभा के कार्यकाल के दौरान आप वर्ष 1985 से 1987 तक विशेषाधिकार समिति तथा वर्ष 1987 से 1990 तक याचिका समिति तथा पुस्तकालय समिति की सदस्य रहीं। समाज सेवा के प्रति कृत संकल्प रही श्रीमती रतन कंवर अपने क्षेत्र की समस्याओं के निराकरण तथा महिलाओं एवं बालकों के कल्याण के लिए सदैव प्रयत्नशील रहीं।

श्रीमती रतन कंवर का दिनांक 23 नवम्बर, 2006 को निधन हो गया।

(श्री अध्यक्ष)

अब्दुल रहमान चौधरी, श्री, पूर्व उपमंत्री

पूर्व उप मंत्री श्री अब्दुल रहमान चौधरी का जन्म 15 जून, 1932 को नागौर जिले के मकराना कस्बे में हुआ। आपने बी.काम. की उपाधि प्राप्त की।

श्री अब्दुल रहमान चौधरी सातवीं राजस्थान विधान सभा में मकराना निर्वाचन क्षेत्र से कांग्रेस (आई) के विधायक रहे। आप जून, 1980 से जुलाई, 1981 तक राज्य सरकार में अंत्योदय, ऊर्जा, वक्फ, सिंचाई तथा सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग के उप मंत्री रहे। विधान सभा में आप विशेषाधिकार समिति, प्राक्कलन समिति 'ख' तथा चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, परिवार कल्याण और आयुर्वेद विभाग की संसदीय परामर्शदात्री समिति के सदस्य रहे।

श्री चौधरी भू-आवंटन (उपनिवेशन क्षेत्र) सलाहकार समिति, तेजाजी पशु मेला समिति, परबतसर, राजस्थान विद्युत मण्डल परामर्श समिति, राजस्थान खनिज परामर्श समिति तथा मकराना हास्पिटल डवलपमेंट समिति के सदस्य रहे। आप मकराना की अनेक औद्योगिक एवं व्यावसायिक संस्थाओं से सम्बद्ध रहे। आप मकराना नगरपालिका मण्डल के अध्यक्ष भी रहे। समाज सेवा में विशेष रुचि रखने वाले श्री चौधरी मकराना रिलीफ फण्ड के संस्थापक अध्यक्ष, मकराना मदरसा अन्जुमन तथा चौधरी मुबारक हुसैन स्कूल के अध्यक्ष रहे। आप आल इण्डिया कौमी एकता कमेटी के महासचिव तथा इण्डो अरब मित्रता की राजस्थान इकाई के कोषाध्यक्ष भी रहे।

श्री अब्दुल रहमान चौधरी का दिनांक 20 जनवरी, 2007 को निधन हो गया।

माणकलाल ठाकोर, श्री, पूर्व विधायक

पूर्व विधायक श्री माणकलाल ठाकोर का जन्म 26 जून, 1926 को बूंदी जिले के नैनवां कस्बे में हुआ। आपने बी.ए., एलएल.बी की उपाधियां प्राप्त कीं।

श्री माणकलाल ठाकोर छठी राजस्थान विधान सभा के लिए नैनवां निर्वाचन क्षेत्र से जनता पार्टी के विधायक निर्वाचित हुए।

श्री ठाकोर वर्ष 1950 से 1961 तथा 1971 से 1974 तक नैनवां नगरपालिका के अध्यक्ष रहे। आप लम्बे समय तक नैनवां अभिभाषक परिषद

(श्री अध्यक्ष)

के अध्यक्ष भी रहे। छात्र जीवन से ही स्वतंत्रता आंदोलन में सक्रिय भूमिका निभाने वाले श्री माणकलाल ठाकोर आपातकाल के दौरान 18 माह जेल में रहे। आप वर्ष 1971 में भूमि मुक्ति आंदोलन के दौरान जेल भी गये।

श्री माणकलाल ठाकोर का दिनांक 22 अक्टूबर, 2006 को निधन हो गया।

मोहरसिंह, श्री, पूर्व विधायक

पूर्व विधायक श्री मोहर सिंह का जन्म वर्ष 1916 में चूरू जिले की राजगढ़ तहसील के जैतपुरा ग्राम में हुआ। आपने मैट्रिक तक शिक्षा प्राप्त की।

श्री मोहर सिंह दूसरी तथा पांचवीं राजस्थान विधान सभा में विधायक रहे। आप दूसरी विधान सभा के लिए चूरू निर्वाचन क्षेत्र से निर्दलीय तथा पांचवीं विधान सभा के लिए वर्ष 1974 में हुए उप चुनाव में सादुलपुर निर्वाचन क्षेत्र से मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के विधायक निर्वाचित हुए। विधान सभा में आप अपने क्षेत्र के विकास के लिए सदैव प्रयत्नशील रहे।

श्री मोहर सिंह वर्ष 1946 में बीकानेर राज्य प्रजा परिषद् के प्रतिनिधि तथा वर्ष 1949 में जिला किसान सभा के मंत्री एवं प्रधान रहे। स्वतंत्रता सेनानी श्री मोहर सिंह ने विभिन्न आन्दोलनों में सक्रिय रूप से भाग लिया। आप 18 माह तक हैदाराबाद की जेल में बंदी रहे। कामरेड श्री मोहर सिंह वर्ष 1960 में कम्युनिस्ट पार्टी तथा 1964 में मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के जिला सचिव रहे।

श्री मोहर सिंह का दिनांक 30 दिसम्बर, 2006 को निधन हो गया।

शकुन्तला श्रीवास्तव, श्री, पूर्व विधायक

पूर्व विधायक श्रीमती शकुन्तला श्रीवास्तव का जन्म नवम्बर, 1930 में जयपुर में हुआ। आपने बी.ए. तथा साहित्यरत्न की उपाधियां प्राप्त कीं।

श्रीमती शकुन्तला श्रीवास्तव पांचवीं राजस्थान विधान सभा के लिए आमेर विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र से कांग्रेस की विधायक निर्वाचित हुई। विधान सभा के कार्यकाल के दौरान आप प्राक्कलन समिति की सदस्य रहीं।

श्रीमती श्रीवास्तव महिलाओं एवं बालकों के कल्याण के लिए सदैव प्रयत्नशील रहीं। आप राजस्थान राज्य बाल कल्याण परिषद् की सचिव,

(श्री अध्यक्ष)

परिवार एवं बाल कल्याण परियोजना, झोटवाड़ा तथा मूक एवं बधिर स्कूल समिति की सभापति रहीं। आप वर्ष 1952 से 1955 तक कारागार विभाग में जेलर, वर्ष 1965 से 1972 तक पंचायत समिति की प्रधान, जेल सलाहकार समिति एवं जेल रिफार्म्स कमीशन, राजस्थान सर्किल की टेलिकॉम सलाहकार समिति, राजस्थान मद्य निषेध सलाहकार समिति एवं अन्तरराष्ट्रीय महिला वर्ष आयोजन समिति की सदस्य तथा जयपुर जिला महिला किक्रेट एसोशिएशन की सभापति रहीं। मजदूरों के कल्याण संबंधी कार्यक्रमों से जुड़ी श्रीमती श्रीवास्तव झोटवाड़ा क्षेत्रीय खादी ग्रामोद्योग संघ की सभापति, जयपुर ठेला हाकर्स यूनियन तथा जल प्रदाय विभाग मजदूर यूनियन की अध्यक्ष, इन्टक कार्यकारिणी की सदस्य एवं कोषाध्यक्ष रहीं। आप कांग्रेस संगठन के विभिन्न पदों पर भी रहीं।

श्रीमती शकुन्तला श्रीवास्तव का दिनांक 30 दिसम्बर, 2006 को निधन हो गया।

किशोरीलाल, श्री, पूर्व विधायक

पूर्व विधायक श्री किशोरीलाल शर्मा का जन्म 10 दिसम्बर, 1915 को उदयपुर में हुआ। आपने हिन्दी विद्यापीठ, उदयपुर से हिन्दी साहित्य विशारद की उपाधि प्राप्त की।

श्री शर्मा पांचवीं राजस्थान विधान सभा के लिए सलूम्बर निर्वाचन क्षेत्र से हुए उप चुनाव में कांग्रेस के विधायक निर्वाचित हुए।

श्री किशोरी लाल शर्मा वर्ष 1944 से 1947 तक प्रजामण्डल के सचिव तथा अक्टूबर, 1959 से जनवरी, 1974 तक तहसील सराड़ा, सलूम्बर के प्रधान रहे। इसके पश्चात् आप 27 मई, 1974 को धारा सभा के सदस्य निर्वाचित हुए। दलित वर्ग के उत्थान हेतु प्रयत्नशील रहे श्री शर्मा कांग्रेस संगठन में ब्लाक अध्यक्ष सहित प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सदस्य भी रहे।

श्री किशोरीलाल शर्मा का दिनांक 20 नवम्बर, 2006 को निधन हो गया।

विजयसिंह, श्री, पूर्व विधायक

पूर्व विधायक श्री विजय सिंह का जन्म 12 फरवरी, 1935 को नागौर जिले के मकराना कस्बे में हुआ। आपने बी.ए. की उपाधि प्राप्त की।

श्री विजय सिंह चौथी राजस्थान विधान सभा के लिए मकराना निर्वाचन क्षेत्र से स्वतंत्र पार्टी के विधायक निर्वाचित हुए। विधान सभा के कार्यकाल के दौरान आप राजकीय उपक्रम समिति के सदस्य रहे।

(श्री अध्यक्ष)

श्री विजय सिंह वर्ष 1959 में मकराना नगरपालिका के सदस्य तथा वर्ष 1961 में मकाराना पंचायत समिति के उप प्रधान रहे। सामाजिक कार्यों में रुचि रखने वाले श्री विजय सिंह मकराना सनातन धर्म सेवा संघ के अध्यक्ष भी रहे।

श्री विजय सिंह का दिनांक 27 दिसम्बर, 2006 को निधन हो गया।

छोटू सिंह आर्य, श्री, पूर्व विधायक

पूर्व विधायक श्री छोटू सिंह आर्य का जन्म 21 अगस्त, 1921 को अलवर में हुआ। आपने आर.आर. कालेज, अलवर से स्नातक की उपाधि प्राप्त करने के बाद लखनऊ विश्वविद्यालय से एम.ए., एलएल.बी. की उपाधियां प्राप्त कीं।

श्री छोटू सिंह आर्य पहली तथा दूसरी राजस्थान विधान सभा के लिए अलवर निर्वाचन क्षेत्र से कांग्रेस के विधायक निर्वाचित हुए। विधान सभा में आप अपने क्षेत्र के विकास के लिए सदैव प्रयत्नशील रहे।

स्वतंत्रता सेनानी श्री छोटू सिंह आर्य वर्ष 1939 में मास्टर भोलानाथ की प्रेरणा से प्रजामण्डल आन्दोलन से जुड़े तत्पश्चात् आपने अनेक आन्दोलनों में सक्रिय रूप से भाग लिया। श्री आर्य वर्ष 1946 एवं 1949 में म्युनिसिपल कमिश्नर भी रहे। आपकी शिक्षा के प्रसार में गहरी आस्था थी। आर्य कन्या विद्यालय, अलवर के संस्थापक रहे श्री आर्य अलवर हरिजन सेवक संघ के प्रेजीडेन्ट सहित अनेक सामाजिक एवं शैक्षिक संस्थाओं से सम्बद्ध रहे। आप अलवर जिला कांग्रेस कमेटी के कोषाध्यक्ष भी रहे।

श्री छोटू सिंह आर्य का दिनांक 23 फरवरी, 2007 को निधन हो गया।

बालमुकुन्द, श्री, पूर्व विधायक

पूर्व विधायक श्री बालमुकुन्द का जन्म वर्ष 1931 में डूंगरपुर जिले के सांकरसी ग्राम में हुआ। आपने वनवासी छात्रालय, उदयपुर से विशारद की शिक्षा प्राप्त की।

श्री बालमुकुन्द दूसरी राजस्थान विधान सभा में डूंगरपुर सुरक्षित निर्वाचन क्षेत्र से साम्यवादी पार्टी के विधायक निर्वाचित हुए। विधान सभा के कार्यकाल के दौरान आप अपने क्षेत्र की जन समस्याओं के निराकरण के लिए सदैव प्रयत्नशील रहे।

(श्री अध्यक्ष)

श्री बालमुकुन्द वर्ष 1950 से 1951 तक समाज कल्याण विभाग में अध्यापक तथा 5 मई, 1953 से 7 नवम्बर, 1956 तक ग्रामसेवक रहे। आपने एक वर्ष तक होम गार्ड में जूनियर कम्पनी कमांडर के पद पर कार्य किया।

श्री बालमुकुन्द का दिनांक 19 नवम्बर, 2006 को निधन हो गया।

मैं, अपनी ओर से तथा इस सदन के सभी माननीय सदस्यों की ओर से दिवंगतों के प्रति शोक प्रकट करते हुए उनके परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त करती हूं तथा दिवंगत महानुभावों को श्रद्धांजलि अर्पित करती हूं। मैं ईश्वर से प्रार्थना करती हूं कि दिवंगत व्यक्तियों की आत्मा को शान्ति प्रदान करें तथा उनके शोकसंतप्त परिजनों को उनका बिछोह सहन करने की शक्ति दे।

अटारी समझौता एक्सप्रेस बम विस्फोट में मृत यात्री

दिनांक 18 फरवरी, 2007 को हरियाणा में पानीपत के निकट अटारी समझौता एक्सप्रेस में हुए दो बम विस्फोटों में लगभग 68 यात्रियों की मृत्यु हो गई तथा कई व्यक्ति घायल हो गये। इन शक्तिशाली विस्फोटों के बाद ट्रेन की दो बोगियों में लगी आग से वे पूरी तरह नष्ट हो गईं। मैं, इन बम विस्फोटों से मारे गये यात्रियों की मृत्यु पर भी शोक प्रकट करती हूं तथा पीड़ित परिवारों के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त करती हूं।

माननीय सदस्यगण कृपया दो मिनट मौन खड़े रहकर दिवंगतों की आत्मा की शान्ति के लिए प्रार्थना करें।

(माननीय सदन ने दो मिनट मौन खड़े होकर दिवंगतों की आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की)

ओम शांति, शांति, शांति । ...(व्यवधान)...

मुझे बड़ा अफसोस है इस बात का कि राजस्थान विधान सभा के इतिहास में पहली बार जब दिवंगतों के प्रति शोकाभिव्यक्ति की जा रही है, उस समय विपक्ष का यह रवैया और इस तरीके से शोर मचाना उन सभी दिवंगतों के प्रति अपमानजनक है और मुझे बड़ा अफसोस है इस बात का। मैं सदन की कार्यवाही ...(व्यवधान)...

सदन की बैठक शुक्रवार, दिनांक 2 मार्च, 2007 के प्रातः 11.00 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।

(तदनन्तर सदन की बैठक 13.29 बजे शुक्रवार 2 मार्च, 2007 के 11.00 बजे तक के लिए स्थगित हुई)

परिशिष्ट-1

राजस्थान के महामहिम राज्यपाल

श्रीमती प्रतिभा पाटिल

द्वारा

बारहवीं राजस्थान विधान सभा के सप्तम सत्र में दिया गया

अभिभाषण

माननीय अध्यक्ष महोदया, एवं सदस्यगण,

1. बारहवीं विधान सभा के सप्तम सत्र में आपको सम्बोधित करते हुए अत्यन्त हर्ष हो रहा है। राज्य सरकार द्वारा विगत तीन वर्षो में राजस्थान के समग्र विकास के लिए किये गये अथक प्रयासों एवं कुशल प्रबंधन का ही यह सुफल है कि आज राजस्थान तेजी से विकास पथ पर बढने ओर अग्रसर है।
2. राज्य सरकार द्वारा अपने कुशल द्वितीय प्रबंधन के कारण वार्षिक योजना के आकार एवं व्यय निरंतर वृद्धि की जा रही है। राज्य के राजस्व घाटे तथा राजकोषीय घाटे में लगातार उल्लेखनीय सुधार हो रहा है। सरकार द्वारा योजना व्यय में अभूतपूर्व वृद्धि की गई जिसके फलस्वरूप दसवीं पंचवर्षीय योजना के अंतिम तीन वर्षो में 22853 करोड़ रुपये का व्यय सम्भावित है जो कि नवीं पंचवर्षीय योजना के कुल व्यय 19567 करोड़ रुपये से अधिक है।
3. मुझे यह कहते हुए अत्यन्त हर्ष हो रहा है कि राज्य की ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना 68,422.16 करोड़ रुपये की निर्धारित की गई है जो कि राज्य के इतिहास में अब तक की सबसे बड़ी पंचवर्षीय योजना है। इस प्रकार ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना का आकार आठवीं, नवीं तथा दसवीं पंचवर्षीय योजनाओं के दौरान हुए कुल व्यय 64,894 करोड़ रुपये से अधिक है।
4. योजना आयोग द्वारा राज्य की वार्षिक योजना 2007-08 के लिए 11,638.86 करोड़ रुपये की स्वीकृत की गई है जो कि राज्य की आठवीं पंचवर्षीय योजना के कुल आकार 11,500 करोड़ रुपये से अधिक है।
5. बीस सूत्री कार्यक्रम के अन्तर्गत राजस्थान अखिल भारतीय स्तर पर निरन्तर चौथे स्थान पर रहा।

6. राज्य में गत तीन वर्षो के कुशल वित्तीय प्रबन्धन के परिणामस्वरूप फरवरी, 2004 के पश्चात् राज्य कभी भी ओवर ड्राफ्ट में नहीं रहा, तथा न ही कभी रिजर्व बैंक से मार्गोपाय अग्रिम लेना पड़ा। इस वर्ष राज्य द्वारा लिये जा रहे शुद्ध ऋण की लगभग समस्त राशि पूंजीगत सम्पत्तियों के सृजन हेतु उपयोग में ली जा सकेगी।

7. राज्य के राजस्व घाटे एवं राजकोषीय घाटे में उल्लेखनीय कमी आयी है। बारहवें वित्त आयोग की सिफारिशों को दृष्टिगत रखते हुए लागू किये गये राजवित्तीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबन्ध अधिनियम (FRBM) के आधार पर राज्य द्वारा केन्द्र सरकार से 31 मार्च, 2004 तक लिये गये ऋणों की बकाया राशि का समेकन (Consolidation) कर दिया गया है। राजस्व घाटे एवं राजकोषीय घाटे में की गयी अपेक्षित कमी के परिणामस्वरूप वर्ष 2005-06 के लिए भारत सरकार से राशि 308.70 करोड़ रुपये के ऋण अपलेखन की स्वीकृति प्राप्त हो चुकी है। वर्ष 2006-07 में देय राशि रुपये 308.70 करोड़ रुपये के ऋण अपलेखन की सैद्धान्तिक स्वीकृति भी भारत सरकार द्वारा प्रदान कर दी गई है।

8. महिलाओं के सशक्तिकरण हेतु उनके पक्ष में कृषि भूमि के क्रय दस्तावेज पंजीयन कराने पर मुद्रांक शुल्क की रियायती दर 5 प्रतिशत किये जाने पर राज्य 3.68 लाख महिलाओं को सम्पत्ति अधिकार प्राप्त हुये हैं।

9. संवत् 2062 में राज्य के 22 जिलों के 50 प्रतिशत से अधिक खराबा वाले 15,778 गांवों एवं ओलावृष्टि से प्रभावित 161 गांवों को अभावग्रस्त घोषित किया। अभावग्रस्त जिलों में दिनांक 1.1.2006 से 10.7.2006 तक राहत कार्य चलाये गये तथा राहत कार्यो पर माह जून, 2006 में अधिकतम 18.01 लाख श्रमिकों को रोजगार उपलब्ध कराया गया। 1 जनवरी, 2006 से 10 जुलाई, 2006 तक चलाये गये राहत कार्यो एवं सतत् कार्यो के साथ डोवटेल कार्यो के तहत 13.30 करोड़ मानव दिवस सृजित किये गये। राहत कार्यो में 14,809 मिड डे मील किचन शेड, 3,568 आगनबाड़ी केन्द्रों, 13,803 ग्रामीण शौचालयों, 7,504 खेत तलाई, 1,244 कुओं में वर्षा जल पुनर्भरण हेतु कूप जल संगहण के कार्य राहत कार्यो के साथ डोवटेल कर कराये गये। कच्चे कार्यो के तहत 23,497 सार्वजनिक तालाब, पोखर व नाडियों को गहरा कराने एवं इनके जीर्णोद्धार का कार्य कराया गया।

10. अभावग्रस्त जिलों में पशुओं को अनुदानित दरों पर चारा वितरित करने के लिये 872 चारा डिपो के माध्यम से 94,320.15 मै. टन चारा वितरित किया गया तथा पशु शिविर एवं गौशालाओं के माध्यम से 4.41 लाख पशुओं को अनुदान देकर लाभान्वित किया गया। इसी प्रकार पेयजल व्यवस्था के अन्तर्गत 6,172 ग्राम एवं ढ़ाणियों में 4,117 टैंकर्स ट्रीप प्रतिदिन परिवहन कर पेयजल उपलब्ध कराया गया। अभावग्रस्त जिलों में असहाय, अपंग एवं वृद्ध 1.11 लाख लोगों को 50 रुपये नकद एवं 50 कि.ग्रा. गेहूं प्रति व्यक्ति प्रतिमाह अनुग्रह सहायता दी गई।

11. राज्य के बाढ़ प्रभावित 12 जिलों के 9,625 गांव, 67.44 लाख जनसंख्या प्रभावित हुई, राज्य सरकार द्वारा बाढ़/ओलावृष्टि से प्रभावित जिलों को बाढ़ की स्थिति से निपटने हेतु 23,230.90 लाख रू. की राशि उपलब्ध कराई गई। कवास एवं मलवा गांवों के अनुसूचित जाति व जनजाति के परिवारों को अन्य जगह पुनर्वास हेतु प्रत्येक परिवार को 1.25 लाख रुपये की लागत के मकान नि:शुल्क उपलब्ध कराये जा रहे हैं व अन्य परिवारों को 25 प्रतिशत राशि लेकर आवास उपलब्ध कराये जायेंगे।

12. राज्य में बाढ़ से हुई भारी क्षति से प्रभावित व्यक्तियों को राहत उपलब्ध कराने हेतु केन्द्र सरकार को 3,284.22 करोड़ की मांग का ज्ञापन भिजवाया गया जिसके विरूद्ध भारत सरकार से अभी तक केवल 100.00 करोड़ रुपये की राशि ही प्राप्त हुई है।

13. संवत् 2063 के अन्तर्गत राज्य सरकार ने अधिसूचना दिनांक 5.1.2007 द्वारा राज्य के 22 जिलों के 50 प्रतिशत से अधिक खराबा वाले 10,529 गांवों को अभावग्रस्त घोषित किया। अभावग्रस्त जिलों में दिनांक 11.1.2007 से राहत कार्य चलाये जा रहे हैं। ओलावृष्टि से प्रभावित 5 जिलों के 102 गांवों को दिनांक 20.2.2007 को अभावग्रस्त घोषित किया गया तथा राहत पैकेज घोषित कर प्रभावित किसानों को सहायता राशि उपलब्ध कराई जा रही है।

14. ग्रामीण विकास विभाग द्वारा ग्रामीण क्षेत्र के सर्वांगीण विकास हेतु वर्तमान वित्तीय वर्ष में जनवरी, 2007 तक 1,468.59 करोड़ रुपये की राशि प्राप्त कर 1,257.34 करोड़ रुपये व्यय किये गये हैं, जो प्राप्त राशि का 85.62 प्रतिशत है। राज्य में किसी एक वर्ष में अब तक ग्रामीण विकास पर व्यय की गई यह अधितकतम राशि है।

15. ग्रामीण गरीब परिवारों को स्वरोजगार उपलब्ध करवाकर उन्हें आत्म निर्भर बनाने के उद्देश्य से एस.जी.एस.वाई के अन्तर्गत माह जनवरी, 2007 तक 29.43 करोड़ रुपये के व्यय से 21,791 गरीब परिवारों को विभिन्न संसाधन उपलब्ध कराकर लाभान्वित किया गया। इनमें से 12,866 महिलाएं, 6,495 अनुसूचित जाति एवं 5,645 अनुसूचित जनजाति के सदस्य है।

16. स्वर्ण जयन्ती ग्राम स्वरोजगार योजनान्तर्गत डा. रेड्डी फाउन्डेशन के माध्यम से 18 से 35 आयु वर्ग के बी.पी.एल. परिवार के कम से कम आठवीं उत्तीर्ण बेरोजगार युवाओं को विभिन्न गतिविधियों में कौशल प्रशिक्षण प्रदान कर रोजगार उपलब्ध करवाया जा रहा है। प्रथम फेज में 5,000 बी.पी.एल. युवाओं को प्रशिक्षित करने के लिये 10 जिलों का चयन किया गया है। इसमें 10 जिलों में 1,546 विद्यार्थियों को प्रशिक्षण दिया गया व 916 को विभिन्न क्षेत्र में नौकरी दी गई। द्वितीय फेज में 5,000 और बी.पी.एल. युवाओं को प्रशिक्षित किया जायेगा।

17. ग्रामीण क्षेत्र के गरीब परिवारों को मजदूरी रोजगार उपलब्ध कराने के साथ साथ खाद्य सुरक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से क्रियान्वित सम्पूर्ण रोजगार योजना के अन्तर्गत वर्ष 2006-2007 में माह जनवरी, 2007 तक 146.09 करोड़ रुपये के व्यय से 122.11 लाख मानव दिवसों का रोजगार सृजन किया गया।

18. राजस्थान रोजगार गारन्टी कार्यक्रम राज्य के 6 जिलों यथा डूंगरपुर, बांसवाड़ा, उदयपुर, सिरोही, झालावाड़ एवं करौली में प्रारम्भ किया गया है। इस योजना को पारदर्शिता से लागू करने में राज्य की सभी स्तरों पर सराहना की गई है। इस योजना में देश के चयनित 200 जिलों में प्रदान किये गये औसत रोजगार के आधार पर राजस्थान का प्रथम स्थान है। सामाजिक अंकेक्षण की प्रकिया प्रारम्भ करने में भी राजस्थान ने देश में पहल की है जिससे कार्य में पारदर्शिता आयी है। योजना पर जनवरी, 2007 तक 506.22 करोड़ रुपये व्यय कर 806.21 लाख मानव दिवसों का सृजन किया गया है। योजनान्तर्गत माह जनवरी, 2007 तक 15.13 लाख परिवारों को रोगजार के लिये पंजीकृत किया गया। सभी परिवारों को जाबकार्ड जारी किया जा चुका है। योजना के तहत 10.94 लाख परिवारों के 14.87 लाख व्यक्तियों को रोजगार उपलब्ध करवाया गया तथा 2.39 लाख पंजीकृत परिवारों द्वारा 100 दिवस का रोजगार पूर्ण कर लिया गया है।

19. इन्दिरा आवास योजनान्तर्गत भारत सरकार द्वारा बी.पी.एल. परिवारों के लिये नए आवासों हेतु 25,000/- रुपये प्रति आवास राशि उपलब्ध कराई जाती है। राज्य सरकार द्वारा आदिवासी क्षेत्रों में रहने वाले बी.पी.एल. परिवारों हेतु इन्दिरा आवास योजना के तहत 25,000/- रुपये की अतिरिक्त सहायता की घोषणा की गयी है। परिणामस्वरूप अब इन परिवारों को प्रति आवास 50,000/- रुपये की राशि उपलब्ध करवाई जा रही है। वर्ष 2006-2007 में माह जनवरी, 2007 तक 41.86 करोड़ रुपये व्यय कर 8,606 परिवारों को इन्दिरा आवास उपलब्ध करवाये गये तथा 28,044 आवासों का कार्य प्रगति पर है।

20. मिड-डे-मील कार्यक्रम के अन्तर्गत राज्य के सभी 32 जिलों में समस्त राजकीय एवं राज्य अनुदानित लगभग 74,690 विद्यालयों में कक्षा 1 से 5 में अध्ययनरत विद्यार्थियों को गुणवत्ता एवं विधतायुक्त भोजन उपलब्ध करवाया जा रहा है। जन सहभागिता को बढ़ावा देने के हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं। इसी क्रम में मिड-डे-मील ट्रस्ट राजस्थान का गठन किया जा चुका है।

21. राज्य के अल्प विकसित एवं पिछड़े क्षेत्रों के सर्वांगीण विकास के लिये राज्य सरकार द्वारा क्षेत्रीय विकास कार्यक्रम यथा मेवात क्षेत्रीय विकास कार्यक्रम, डांग क्षेत्रीय विकास कार्यक्रम एवं मगरा क्षेत्रीय विकास कार्यक्रम क्रियान्वित किये जा रहे हैं। इन कार्यक्रमों के अन्तर्गत इस वर्ष 2006-07 में माह जनवरी, 2007 तक 7.99 करोड़ रुपये के व्यय से 709 कार्य पूर्ण कराये गये हैं।

22. विधायक स्थानीय क्षेत्र विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत वर्तमान वित्तीय वर्ष में माह जनवरी, 2007 तक 108.61 करोड़ रुपये के व्यय से 7553 कार्य पूर्ण कराये गये हैं।

23. जिला गरीबी उन्मूलन परियोजना मे वर्ष 2006-07 में 100.00 करोड़ रुपये के व्यय के प्रावधान के विपरीत माह जनवरी, 2007 तक 94.34 करोड़ रुपये व्यय किये जा चुके हैं।

24. वर्ष 2006-07 में जल ग्रहण परियोजनाओं यथा मरू विकास कार्यक्रम, सूखा सम्भाव्य क्षेत्र कार्यक्रम एवं एकीकृत बंजर भूमि विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत 1,355 नई परियोजना जिनकी लागत 465.45 करोड़ रुपये है, भारत सरकार से स्वीकृत कराई गई है।

25. राज्य सरकार द्वारा 2 जनवरी से 11 फरवरी, 2007 तक ग्राम सम्पर्क अभियान के तहत प्रत्येक ग्राम पंचायत में शिविरों का आयोजन किया गया, जिसके तहत गत 3 वर्षों में विभिन्न कार्यक्रमों के अन्तर्गत सृजित 4 लाख 10 हजार परिसम्पत्तियों का सामाजिक अंकेक्षण किया गया। इसमें 99.50 प्रतिशत परिसम्पत्तियां अस्तित्व में पाई गयी। इतने बड़े स्तर पर सामाजिक अंकेक्षण का कार्य देश में संभवत: पहली बार किसी राज्य द्वारा किया गया है।

26. पंचायती राज विभाग द्वारा रियायती दर पर आवासीय भूखण्ड आवंटन योजनान्तर्गत वर्ष 2006-07 में जनवरी, 2007 तक 25 हजार 444 आवासीय भूखण्ड आवंटित कर आवास विहीन ग्रामीण योग्य परिवारों को लाभान्वित किया गया।

27. बारहवें वित्त आयोग एवं राज्य वित्त आयोग-तृतीय के तहत वर्ष 2006-07 में क्रमश: रुपये 123 करोड़ एवं रुपये 90 करोड़ पंचायती राज संस्थाओ को हस्तान्तरित किये गये।

28. जिला आयोजना का निर्माण के तहत प्रदेशों में पहली बार गांवों की पंचवर्षीय योजना का निर्माण स्वयं ग्रामीणों द्वारा ग्राम सभाओं में किया गया है। इसके लिए विकेन्द्रित प्रकिया अपनाकर प्रदेश के 13 प्रमुख विभागों की ओर विशेष ध्यान दिया जाकर इन क्षेत्रों में वर्तमान में चल रही विभिन्न विकास योजनाओं व कार्यक्रमों की विस्तृत समीक्षा करते हुए नीचे के स्तर से आगामी पांच वर्षों में आवश्यकता अनुरूप करवाये जाने वाले कार्यों को ग्राम पंचायतों की ग्राम सभाओं में तैयार करवाकर अनुमोदित करवाया गया है। राज्य सरकार के इस प्रयास की योजना आयोग द्वारा सराहना की गई है।

29. दीनदयाल उपाध्याय आदर्श गांव योजना के तहत प्रदेश के 50 गांवों का चयन किया जाकर चयनित गांवों के आधारभूत ढ़ाचा विकास के लिए योजना तैयारी का कार्य प्रगति पर है।

30. करिश्मा परियोजना के अन्तर्गत राज्य की सभी 32 जिला परिषदों, सभी 237 पंचायत समितियों एवं 1000 ग्राम पंचायतों को कम्प्यूटर्स उपलब्ध करवाये जा चुके हैं।

31. वर्तमान सरकार ने जल संसाधन कार्यों को सर्वोच्च प्राथमिकता प्रदान की जिसके फलस्वरूप इन कार्यों पर 3 वर्षों यथा 2004-05, 2005-06 व 2006-07 में रुपये 2,650.8 करोड़ व्यय होंगे जबकि वर्तमान सरकार के कार्यकाल से पूर्व

के 5 वर्षों यथा 1999-2000 से 2003-2004 में इन कार्यों हेतु रुपये 2,465.46 करोड़ व्यय किये गये। राशि रुपये 2,465.46 करोड़ में नर्मदा परियोजना के पेटे वर्षों से गुजरात सरकार को देय हिस्सा राशि रुपये 335 करोड़ भी शामिल है जो कि फरवरी, 2004 में दिये गये जबकि पूर्व के 5 वर्षों में 57 करोड़ रुपये ही दिये गये थे।

32. इन कार्यों से 3 वर्षों में 3,82,670 हैक्टेयर अतिरिक्त सिंचाई क्षमता सृजित हो जायेगी जबकि पूर्व के 5 वर्षों में 3,72,060 हैक्टेयर अतिरिक्त सिंचाई क्षमता सृजित हुई।

33. वर्षों से अधूरी चल रही सिंचाई परियोजनाओं को शीघ्र पूर्ण कर जनसाधारण को लाभ पहुंचाने की दृष्टि से 3 वर्षों में 126 सिंचाई परियोजनायें पूर्ण होगी, जबकि पूर्व के 5 वर्षों में 65 सिंचाई परियोजनायें ही पूर्ण की गई।

34. प्रथम बार माही परियोजना में राज्य योजनान्तर्गत आदिवासी बाहुल्य सागवाड़ा व आसपुर क्षेत्र के विकास के लिये भीखा भाई सागवाड़ा नहर 8 कि.मी. से 32.20 कि.मी. में कार्य प्रगति पर है तथा 32.20 कि.मी. से 78.88 कि.मी. तक चार लघु परियोजनाओं की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति जारी कर दी गई है।

35. नर्मदा नहर परियोजना के अन्तर्गत राजस्थान में मुख्य नहर का कार्य पूर्ण कर लिया गया है एवं वितरिकाओं का कार्य प्रगति पर है। नर्मदा नहर परियोजना पर फव्वारा सिंचाई पद्धति को अनिवार्य रूप से लागू किया गया है जिससे उपलब्ध जल का अनुकूलतम उपयोग हो सकेगा।

36. इन तीन वर्षों में राज्य सरकार द्वारा राज्य में जल संरक्षण एवं भू-जल के रिचार्ज हेतु विभिन्न जिलों में लगभग 300 करोड़ रुपये के 1920 कार्य आरम्भ किये गये तथा 1750 कार्य पूर्ण कर लिये गये हैं एवं 170 वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर्स के कार्य प्रगतिरत हैं।

37. जल के संरक्षण एवं सदुपयोग को सुनिश्चित करने हेतु जन सामान्य को जागरूक एवं प्रेरित करने के लिये जल अभियान प्रारम्भ किया गया तथा जल चेतना यात्रा के दौरान 18000 से अधिक गांवों में 60 लाख लोगों से रूबरू होकर आमजन की सहभागिता हासिल करने हेतु प्रेरित किया गया। यह पूरे देश में पहला अनूठा प्रयास है।

38. सिंचित क्षेत्र विकास विभाग द्वारा क्रियान्वित परियोजनाओं के अन्तर्गत तीन वर्षों में रुपये 165.69 करोड़ का बजट उपलब्ध कराकर 1,91660 हैक्टेयर क्षेत्र पक्के खालों का निर्माण कार्य कराया गया है, जो इससे पूर्व तीन वर्षों में किये गये कार्य की तुलना में रुपये 56.95 करोड़ व 68162 हैक्टेयर क्षेत्र अधिक है। वर्ष 2006-07 में 62.69 करोड़ रुपये का बजट प्रावधान उपलब्ध कराकर 57,150 हैक्टेयर क्षेत्र में पक्के खालों के निर्माण का लक्ष्य रखा गया है।

39. वर्ष 2006-07 मे बीसलपुर परियोजना में पक्के खालों के निर्माण एवं अन्य कार्यों करने हेतु निर्णय लिया गया है, जिससे 81,000 हैक्टेयर क्षेत्र में 4 वर्षों में पक्के खालों का निर्माण एवं अन्य कार्य करवाया जाना प्रस्तावित है। इस हेतु वर्ष 2006-07 में रुपये तीन करोड़ का बजट प्रावधान उपलब्ध करा दिया गया है।

40. चम्बल की 150 क्यूसेक से कम जल प्रवाह क्षमता वाली वितरिकाओं के सुदृढ़ीकरण एवं जीर्णोद्धार के लिए रुपये 34.69.03 लाख की 20 परियोजनायें स्वीकृत की जा चुकी हैं जिनके क्रियान्वयन से 88,000 हैक्टेयर क्षेत्र में समुचित मात्रा में जल उपलब्ध कराया जाना सम्भव हो सकेगा।

41. सड़क के क्षेत्र में वर्तमान सरकार ने विगत तीन वर्षों में अभूतपूर्व कार्य किया है। गत सरकार के पांच वर्ष के कार्यकाल में किये गये 1 हजार 904 करोड़ रुपये के निवेश की तुलना में इस सरकार द्वारा 4 हजार 55 करोड़ रुपये का निवेश किया है जो तीन गुना से भी अधिक है।

42. प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत 18 हजार 660 किलोमीटर सड़कों का निर्माण कर 5 हजार 538 गांवों को सड़कों से जोड़ा गया है जिसमें से गत तीन वर्षों में 14 हजार 724 किलोमीटर डामर की सड़कों का निर्माण कर 4 हजार 620 गांवों को जोड़ा गया जबकि गत सरकार के कार्यकाल में 3 हजार 936 किलोमीटर डामर की सड़कों का निर्माण कर 918 गांवों को ही सड़कों से जोड़ा गया था।

43. राज्य में प्रतिवर्ष औसतन 4 हजार 130 किलोमीटर लम्बाई में राज्य की सड़कों का सुदृढ़ीकरण एवं नवीनीकरण का कार्य करवाया जा रहा है।

44. राज्य में 7 अक्टूबर, 2005 से मुख्यमंत्री सड़क योजना प्रारम्भ की गई थी, जिसके तहत मेगा हाईवे परियोजना-प्रथम में पांच राजमार्गों के 1 हजार 53

किलोमीटर सड़कों का चौड़ाईकरण, उन्नयनीकरण, 11 रेल ओवर ब्रिज (आर.ओ.बी.) व 28 बाईपास का निर्माण प्रगति पर है। इस परियोजना के तहत एक तिहाई कार्य पूर्ण कर लिया गया है। कार्य अप्रैल, 2007 से मई, 2008 तक चरणबद्ध रूप से पूर्ण किया जायेगा।

45. राज्य योजना के अन्तर्गत नौ रेल ओवर ब्रिज निर्माण के लिए 90 करोड़ रुपये की स्वीकृति जारी की गई है।

46. राज्य में सीमेन्ट कंकरीट/पत्थर खरंजे की सड़कों के निर्माण के 238 किलोमीटर लम्बाई में 171 करोड़ रुपये की स्वीकृति जारी कर कार्य प्रगति पर है।

47. राज्य में 4 हजार 668 किलोमीटर मैटल सड़कों (डब्ल्यू.बी.एम.) के डामरीकरण हेतु 458 करोड़ रुपये की स्वीकृति जारी कर कार्य करवाया जा रहा है।

48. महत्वपूर्ण धार्मिक व पर्यटक स्थलों को 544 किलोमीटर लम्बाई की सड़कों से जोड़ने के लिए 89 करोड़ रुपये के कार्य स्वीकृति किये गये हैं जो प्रगति पर हैं।

49. राज्य के प्रत्येक जिले में एक "आदर्श सड़क" का भी निर्माण करवाया जा रहा है।

50. एस.एम.एस. मेडिकल कालेज, जयपुर एवं सम्बद्ध चिकित्सालयों में वर्ष 2003-04 से 2006-07 तक योजनान्तर्गत प्रावधान एवं अन्य स्रोतों से लगभग रुपये 48.37 करोड़ के निर्माण कार्य पूर्ण कराए गए हैं तथा रुपये 73.00 करोड़ के कार्य प्रगति पर हैं।

51. चिकित्सा के क्षेत्र में निजी विनियोजन की नीति के अन्तर्गत अब तक लगभग रुपये 2,000 करोड़ के प्रस्ताव सक्षम समिति द्वारा अनुमोदित किये गये हैं।

52. मेडिकल कालेज, जयपुर, जोधपुर एवं कोटा में डे-केयर सेन्टर्स की सेवायें प्रारम्भ की जा चुकी है तथा शेष मेडिकल कालेज में उक्त सुविधा शीघ्र प्रारम्भ की जा रही हैं।

53. विगत तीन वर्षों में उच्च शिक्षा के क्षेत्र में अभूतपूर्व प्रगति हुई है। इसका प्रमाण प्रत्यक्ष प्रमाण यह है कि आज राजस्थान उच्च शिक्षा में विस्तार की दृष्टि से, राष्ट्रीय औसत से कहीं आगे हैं। जहां भारतवर्ष में प्रति 77000 की जनसंख्या पर एक महाविद्यालय है वहां राजस्थान में प्रति 63000 की जनसंख्या पर एक महाविद्यालय है।

54. तीन वर्ष पूर्व जहां राज्य में 509 महाविद्यालय थे, आज इनकी संख्या बढ़कर 886 हो गयी है।

55. इसी क्रम में यह भी अत्यन्त उल्लेखनीय है कि राज्य सरकार द्वारा निजी क्षेत्र में भी विश्वविद्यालय खोलने के क्षेत्र में सराहनीय पहल की गयी है। इसके फलस्वरूप 24 प्रार्थना-पत्र प्राप्त हुए हैं तथा इनमें से 17 प्रस्तावों पर आशय पत्र भी जारी हो चुके हैं।

56. राज्य सरकार के अथक प्रयासों के फलस्वरूप ही राज्य में उच्च शिक्षा में विद्यार्थियों की संख्या में भी उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। जहां तीन वर्ष पूर्व लगभग 2.85 लाख छात्र नामांकित थे, वहां आज यह संख्या लगभग 1 लाख की वृद्धि प्राप्त कर 3.85 लाख पर पहुंच गयी है।

57. सत्र 2006-07 से कोटड़ा, पोकरण एवं सोजत सिटी में नवीन राजकीय महाविद्यालय प्रारम्भ किये गये हैं।

58. शिक्षा को रोजगारोन्मुखी बनाने हेतु इस वर्ष सामान्य शिक्षा के 26 महाविद्यालयों में 42 रोजगारोन्मुखी पाठ्यक्रम प्रारम्भ किये गये हैं।

59. राज्य में पहली बार गैर तकनीकी महाविद्यालयों में कैम्पस इन्टरव्यू के माध्यम से वर्ष 2006-07 में 700 से अधिक विद्यार्थियों को रोजगार उपलब्ध करवाया गया।

60. गुणवत्ता प्राप्त करने की दृष्टि से राज्य सरकार ने उच्च शिक्षा के क्षेत्र में रिक्तियां भरने पर भी विशेष ध्यान दिया है। अध्यापन क्षेत्र में लगभग 913 रिक्तियां थी, जिनके विरुद्ध राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा 456 स्थानों हेतु विज्ञापन जारी किया जा चुका है।

61. वर्तमान सरकार के कार्यकाल के तीन वर्षों की अवधि में तकनीकी शिक्षा का विकास एवं गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए राजस्थान तकनीकी विश्वविद्यालय की स्थापना की गई है। तकनीकी शिक्षा के प्रसार के लिए राजकीय क्षेत्र के साथ-साथ निजी क्षेत्र की सहभागिता को भी प्रोत्साहित किया गया है, जिसके अपेक्षित परिणाम सामने आये हैं। गत 3 वर्षों में राजकीय एवं निजी क्षेत्र में 9 अभियांत्रिकी महाविद्यालय, 5 एम.सी.ए., 32 एम.बी.ए., 21 फार्मेसी, 5 पोलीटेक्निक, 6 पैरा मेडिकल संस्थानों तथा 114 औद्योगिक

प्रशिक्षण संस्थानों की स्थापना हुई है। इन संस्थानों की स्थापना से राज्य में कुल 20119 सीटों की वृद्धि हुई है, जिससे तकनीकी पाठ्यक्रमों की कुल प्रवेश क्षमता वर्ष 2003 की तुलना में 30569 से बढ़कर 50,688 हो गई है।

62. वर्ष 2006-07 में राजकीय एवं निजी क्षेत्र में एक अभियांत्रिकी महाविद्यालय, 5 एम.सी.ए., 14 एम.बी.ए., 7 फार्मेसी, 5 पोलीटेक्निक तथा 83 औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान स्थापित हुए हैं। इस तरह से इस वर्ष में 105 तकनीकी संस्थान स्थापित हुए हैं तथा विभिन्न तकनीकी पाठ्यक्रमों की प्रवेश क्षमता 8967 की वृद्धि हुई है। इसके अतिरिक्त इसी वर्ष में घोषित निजी सार्वजनिक सहभागिता योजनान्तर्गत 12 जिलों में पोलीटेक्निक महाविद्यालय तथा 85 पंचायत समिति क्षेत्रों में औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों की स्थापना हेतु आशय पत्र जारी किये गये हैं। इससे 8000 से अधिक सीटों की वृद्धि होगी।

63. राजस्थान निरन्तर विकास की ओर अग्रसर राज्य है। साक्षरता एवं शिक्षा के क्षेत्र में दिये जाने वाले विश्व के सर्वाधिक प्रतिष्ठित "यूनेस्को कन्फ्यूशियस अवार्ड" से वर्ष 2006 में राजस्थान को नवाजा गया है। वर्ष 2006 में हनुमानगढ़ जिलें को साक्षरता के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने के लिये "सत्येन मैत्रेय" पुरस्कार प्रदान किया गया।

64. राज्य में कुल शिक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिये गत तीन वर्षों में 42,470 अध्यापकों को नवीन नियुक्ति तथा बाह्य सहायता प्राप्त विभिन्न परियोजनाओं की समाप्ति उपरान्त 11,617 कार्मिकों का समायोजन कर कुल 54,087 व्यक्तियों को रोजगार उपलब्ध कराया जबकि गत सरकार द्वारा तीन वर्ष की अवधि में मात्र 4,767 को ही नवीन नियुक्तियां दी गई। इसके अतिरिक्त वर्ष 2006-07 में सृजित 35,003 पदों पर नवीन नियुक्तियों पर भर्ती प्रक्रिया आरम्भ कर दी गई है। शैक्षणिक व्यवस्था सुचारू रूप से संचालन हेतु 23,907 शिक्षकों को संविदा पर विद्यार्थी मित्र योजना के अन्तर्गत रिक्त पदों पर लगाया गया। सुलभ शिक्षण सुविधा निकटतम दूरी पर उपलब्ध कराने के उद्देश्य से चालू वित्तीय वर्ष में समस्त शिक्षा गारन्टी केन्द्रों को राजकीय प्राथमिक विद्यालय में परिवर्तित तथा 5,000 प्राथमिक विद्यालयों को उच्च प्राथमिक विद्यालयों में, निजी क्षेत्र के अन्तर्गत 986 उप्रावि को माध्यमिक विद्यालयों में 375 माध्यमिक विद्यालयों को उच्च माध्यमिक विद्यालयों में क्रमोन्नत किया गया है तथा 160

नवीन शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय आरम्भ किये गये। वर्तमान सरकार द्वारा विगत तीन वर्ष में क्रमश: 21,812 शिक्षा गारण्टी केन्द्र, 4,162 नवीन प्राथमिक, 10,175 उच्च प्राथमिक, 925 माध्यमिक एवं 469 उच्च माध्यमिक राजकीय विद्यालयों को क्रमोन्नत किया गया।

65. "मुख्यमंत्री शिक्षा संबल महाअभियान" 15 जुलाई से 5 सितम्बर, 2006 तक राज्य में चला कर 6 से 14 वर्ष के 16.44 लाख बच्चों को विद्यालय से जोड़कर नामांकन किया गया। स्टेट ओपन स्कूल के माध्यम से 21,879 नवीन छात्रों का पंजीकरण कर 49,941 छात्रों को माध्यमिक शिक्षा सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है। संभाग स्तर पर शिक्षा से वंचित 15,000 बच्चों को नजदीकी विद्यालयों में नामांकन बढ़ाने हेतु कच्ची बस्ती के बच्चों को विद्यालय आने जाने हेतु नि:शुल्क परिवहन व्यवस्था उपलब्ध करायी गई। राजकीय विद्यालयों में पढ़ने वाले कक्षा 1 से 12 तक के सभी वर्ग के एक करोड़ से अधिक विद्यार्थियों को नि:शुल्क पाठ्यपुस्तकें वितरित की गई, जिसमें गत तीन वर्षों के दौरान लगभग 181.00 करोड़ रुपये का व्यय हुआ।

66. बालिका शिक्षा को प्रोत्साहन प्रदान करने हेतु वर्ष 1998-99 में आरम्भ की गई गार्गी पुरस्कार योजनान्तर्गत 2,193 छात्राओं को पुरस्कार प्रदान करने हेतु 21.93 लाख रुपये व्यय किये गये, जबकि चालू सत्र में इस योजनान्तर्गत 11,056 छात्राओं को पुरस्कार प्रदान कर 110.56 लाख रुपये व्यय किये गये। 18,038 बालिकाओं को नि:शुल्क बस पास सुविधा तथा जनजाति क्षेत्र में 6,242 छात्राओं को नि:शुल्क साइकिलें उपलब्ध करायी गयी। औपचारिक शिक्षा से वंचित 69,912 बालक-बालिकाओं को 1,326 ब्रिज कोर्स के माध्यम से तथा 2,830 विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को नौ माह के आवासीय ब्रिज कोर्स के द्वारा शिक्षा उपलब्ध कराते हुए 298 विकलांग बच्चों को सहायक उपकरण भी उपलब्ध कराये गये। 56 कस्तूरबा गांधी बालिका आवासीय विद्यालयों में 3,748 बालिकाओं को आवासीय शिक्षण सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है। राज्य में बी.एड. महाविद्यालयों में शिक्षक प्रशिक्षण पाठ्यक्रम के प्रवेश के लिये लगभग 3,500 सीटें (10 प्रतिशत) विधवा एवं विवाह विच्छिन्न महिलाओं के लिए प्रथम बार आरक्षण किया गया है। यूनीसेफ के सहयोग से 11 से 19 वर्ष की किशोरी बालिकाओं में अनिमिया नियंत्रण की परियोजना 7 जिलों में संचालित की जा रही है।

67. स्कूल स्तर पर कम्प्यूटर शिक्षा को प्रोत्साहित करने हेतु राज्य सरकार द्वारा कक्षा 9 व 10 में छात्राओं को कम्प्यूटर शुल्क से पूर्णत: मुक्त रखते हुये छात्रों से मात्र 50 प्रतिशत शुल्क लेने का प्रावधान रखा गया है। संभागीय स्तर पर कच्ची बस्तियों के जयपुर संभाग में 3 मोबाइल कम्प्यूटर वैन तथा शेष संभागों हेतु 2-2 मोबाइल कम्प्यूटर वैन के माध्यम से छात्रों को कम्प्यूटर शिक्षा दी जा रही है। माइक्रोसाफ्ट, इंटेल, अजीम प्रेमजी फाउण्डेशन के सहयोग से कम्प्यूटर लर्निंग प्रोग्राम के तहत 3000 शिक्षकों को प्रशिक्षण प्रदान किया गया। प्रदेश के 3,600 सैकण्डरी एवं सीनियर सैकण्डरी विद्यालयों में "कल्प" योजना के तहत शिक्षकों को कम्प्यूटर प्रशिक्षण प्रदान करने की पहल की गई है। राज्य में "राजस्थान एजूकेशन इनिसिएटिव" की स्थापना कर विश्व आर्थिक मंच से संबंद्ध 19 संस्थाओं से कम्प्यूटर साक्षरता हेतु एम.ओ.यू. किये।

68. सत्र 2006-07 में प्राथमिक शिक्षान्तर्गत 817 विद्यालय भवन, 29,039 अतिरिक्त कक्षा कक्ष, 2,005 शौचालय एवं 3,807 विद्यालयों में पीने के पानी की सुविधाएं उपलब्ध कराई जा चुकी हैं। 1,374 माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालयों में 27.15 करोड़ के निर्माण कार्य यथा अतिरिक्त कक्षा कक्ष, शौचालय, पेयजल सुविधा एवं विकलांगों के लिए रैम्प्स के कार्य कराये जा रहे हैं।

69. राज्य सरकार द्वारा वर्ष 2006-07 में 6785 ग्राम व ढाणियों तथा 674 अनुसूचित जाति व जनजाति की बस्तियों में पेयजल सुविधा उपलब्ध करा दी गई है।

70. ग्रीष्म संवर्द्धन 2007 के लिये 97.82 करोड़ रुपये के संवर्धन कार्यों की स्वीकृति जारी की जा चुकी है जिसके तहत 651 नलकूपों, 4666 हैण्डपम्पों का निर्माण कार्य एवं 879 किलोमीटर पाईप लाईन विस्तार कार्य स्वीकृत किये गये हैं।

71. हैण्डपम्प मरम्मत अभियान के अन्तर्गत 48572 हैण्डपम्पों की मरम्मत कर पुन: चालू किये गये।

72. सम्पूर्ण स्वच्छता अभियान के तहत कुल 331385 व्यक्तिगत आवासीय शौचालयों व 20901 स्कूलों में शौचालयों का निर्माण किया जा चुका है।

73. 55 शहरों व 16085 ग्रामों व ढाणियों के लिये 7946.95 करोड़ रुपये लागत की 37 स्वीकृत वृहद् परियोजनाओं के अन्तर्गत 1392.45 करोड़ रुपये व्यय कर 8 कस्बों एवं 5668 ग्राम/ढ़ाणियों को लाभांवित किया जा चुका है। शेष कार्य प्रगति पर हैं।

74. सरकार ने स्वास्थ्य सेवाओं की पहुंच को आमजन तक पहुंचाने के उद्देश्य से दिसम्बर माह में स्वास्थ्य चेतना यात्रा का आयोजन किया गया। 9205 केम्पों में 31 लाख से भी अधिक मरीज देखे गये व उन्हें नि:शुल्क दवाऐं उपलब्ध कराई गई। 2 लाख 85 हजार मरीजों की जांच की गई।

75. सरकार ने अपने तीन वर्षों में विगत पांच वर्षों की तुलना में महत्वपूर्ण उपलब्धियां अर्जित की हैं। गत तीन वर्षों में 51 सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, 64 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र व 686 उप स्वास्थ्य केन्द्र खोले गये जबकि विगत 5 वर्षों में केवल 18 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र एवं 75 उप स्वास्थ्य केन्द्र ही खोले गये।

76. इसी प्रकार सरकार ने तीन वर्षों में 44 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों के, 454 उप स्वास्थ्य केन्द्रों के, 40 चिकित्सक आवास गृहों, 42 नर्सिंग आवास गृहों के निर्माण की स्वीकृति जारी की जबकि विगत पांच वर्षों में केवल 16 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों के, 75 उप स्वास्थ्य केन्द्रों के ही भवन निर्माण की स्वीकृतियां जारी की गई। पहली बार 10 जिला चिकित्सालयो में सिटी स्केन मशीन स्थापित की गई।

77. सुरक्षित एवं संस्थागत प्रसव हेतु जननी सुरक्षा योजना का शुभारम्भ किया गया है। इस योजना के तहत निर्धारित पात्रता पूरी करने पर संस्थागत प्रसव करवाने पर ग्रामीण क्षेत्र की गर्भवती महिला को 1400/- रुपये एवं शहरी क्षेत्र की महिलाओं को 1000/- रुपये देने का प्रावधान किया हुआ है। इस योजना के अन्तर्गत अब तक 2 लाख महिलाओं को लाभान्वित किया जा चुका है।

78. परिवार कल्याण कार्यक्रम के अन्तर्गत नसबन्दी आपरेशन कराने वाले व्यक्तियों को दी जाने वाली प्रोत्साहन राशि दुगुनी की गई।

79. इन तीन वर्षों में की गई प्रगति के परिणामस्वरूप शिशु मृत्यु दर 75 से घटकर 67 तथा जन्मदर 30.3 से घटकर 28.6 हो गई है तथा मातृ मृत्यु दर 677 से घटकर 445 रह गई है।

80. राज्य सरकार द्वारा वर्तमान में 32 जिला अस्पतालों, 6 मेडिकल कालेजों तथा 6 मोबाइल वैन इकाईयों में टेलिमेडिसन सुविधा स्थापित करने की कार्यवाही की जा रही है। राज्य में एड्स के मरीजों को नि:शुल्क दवाएं उपलब्ध कराने हेतु दो ए.आर.टी. (एन्टी रिट्रोवायरल ट्रीटमेन्ट) सेन्टर जयपुर व जोधपुर में प्रारंभ किए गए।

81. राष्ट्रीय अन्धता नियंत्रण कार्यक्रम का प्रमुख उद्देश्य राज्य में अन्धता के 2.24 प्रतिशत को घटाकर 0.34 प्रतिशत लाना है वर्तमान में अन्धता की दर 1.55 प्रतिशत है। आपरेशन जीरो कैटरेक्ट जो कि 2004-05 में आरम्भ किया गया था के अन्तर्गत वर्ष 2008 तक 9,00,000 (नौ लाख) आपरेशन करते हुए कैटरेक्ट के बैकलॉग को पूरा किया जाने का लक्ष्य है। वर्ष 2004-05 से दिसम्बर, 2006 तक कुल 7,00,000 (सात लाख) आपरेशन किए जा चुके है।

82. आयुर्वेद विभाग द्वारा ग्रामीण क्षेत्र के समस्त 3,739 (तीन हजार सात सौ उनतालीस) औषधालयों को वर्ष 2006-07 में 864.75 (अक्षरे आठ करोड़ चौंसठ लाख पिचहतर हजार) रुपये आवश्यक औषधियों हेतु उपलब्ध कराये गये।

83. ग्रामीण क्षेत्रों में विशिष्ट बीमारियों की चिकित्सा हेतु वर्ष 2006-07 में 31 शिविरों का आयोजन कर चिकित्सा उपलब्ध करायी गयी।

84. स्वास्थ्य चेतना यात्रा के दौरान ग्राम पंचायत स्तरीय शिविरो में विभागीय चिकित्सा दलों द्वारा 12.82 लाख (बारह लाख बयासी हजार) ग्रामीणों का स्वास्थ्य परीक्षण कर नि:शुल्क औषधियां वितरित की गयी एवं 15,706 मरीजों को विशिष्ट चिकित्सा हेतु चिन्हित किया गया।

85. राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के अन्तर्गत आयुष चिकित्सा सुविधाओं को एलोपैथी के साथ एक छत के नीचे उपलब्ध कराने के निर्णय की पालना में 32 जिला मुख्यालयों, 64 सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों तथा 128 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों पर विभागीय औषधालय स्थानान्तरित कर चिकित्सा सुविधा उपलब्ध करायी जा चुकी है।

86. बेरोजगार युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराने की दृष्टि से चिकित्सकों के 396 पद तथा नर्स/कम्पाउण्डर के 219 पदों पर भर्ती कराने का निर्णय लिया गया।

87. राज्य सरकार द्वारा विगत तीन वर्षों में कृषि क्षेत्र में की गई पहल के फलस्वरूप राज्य ने कृषि क्षेत्र में नये आयाम स्थापित किए हैं।

88. फसलों की उत्पादकता में वृद्धि हेतु फसल केन्द्रित विशेष अभियान यथा– सरसों में टारगेट 20+ तथा जौ में ऑपरेशन 150 प्रतिशत चलाए गए। उन्नत कृषि विधियों की जानकारी तथा विभागीय योजनाओं का लाभ जन-जन तक पहुंचाने के उद्देश्य से राज्य में 'कृषि योजनाएं आपके द्वार' व किसान

महोत्सव जल चेतना यात्रा अभियान चलाया गया, जिसको कृषकों का अपार समर्थम मिला है। राज्य सरकार अब खरीफ व रबी से पूर्व इस प्रकार के अभियान प्रतिवर्ष चलाने के लिए कटिबद्ध है।

89. विगत दो वर्षों में क्रमश: 12.35 लाख मै. टन व 14.17 लाख मै. टन सरसों की समर्थन मूल्य पर खरीद की गयी है, जो एक कीर्तिमान है।

90. राज्य में कृषि जलवायु आधारित कृषि विकास को बढ़ावा देने हेतु आधारभूत सुविधाओं में विस्तार किया गया है।

91. प्रमाणित एवं उन्नत बीजों का वितरण वर्ष 2003-04 में 5 लाख क्वि. से बढ़कर वर्ष 2006-07 में 9 लाख क्वि. होने का अनुमान है। उर्वरकों का वितरण वर्ष 2003-04 में 16 लाख मै. टन से बढ़कर वर्ष 2006-07 में 19 लाख मै. टन हो गया है। इस प्रकार प्रमुख कृषि आदानों बीज व उर्वरक की उपलब्धता में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है।

92. राज्य में राज्य किसान आयोग का गठन, राजस्थान आजिविका मिशन की स्थापना, प्रगतिशील कृषकों एवं विभागीय अधिकारियों के अन्तर्राज्यीय, जलगांव (महाराष्ट्र) तथा इजराइल भ्रमण आयोजित किए गए।

93. राज्य में रबी अनाजों का उत्पादन वर्ष 2003-04 में 63 लाख मै. टन से बढ़कर वर्ष 2006-07 में 85 लाख मै. टन, रबी दलहन का उत्पादन वर्ष 2003-04 में 8 लाख मै. टन से बढकर वर्ष 2006-07 में 11 लाख मै. टन तथा कुल तिलहन उत्पादन वर्ष 2003-04 में 40 लाख मै. टन से बढ़कर वर्ष 2006-07 में 58 लाख मै. टन होने की संभावना है।

94. गत तीन वर्षो में पुशपालन विभाग द्वारा 137.89 लाख पशुओं का टीकाकरण, 310.16 लाख पशुओं का उपचार, 19.46 लाख पशुओं का बधियाकरण एवं 24.37 लाख पशुओं का कृत्रिम गर्भाधान किया गया एवं राज्य में टीका उत्पादन प्रयोगशाला में 248.58 लाख टीकों का उत्पादन किया गया तथा 19.57 लाख खुरपका-मुँहपका टीकाकरण किया गया।

95. भेड़ विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत 391.03 लाख भेड़ों को कृमिनाशक दवा पिलाई गई, 217.11 लाख भेड़ों में दवा स्प्रे (छिड़काव) किया गया और 183.61 लाख भेड़ों को टीके लगाये गये, 22.81 लाख अनुपयोगी भेड़ों का बधियाकरण

किया गया एवं 0.78 लाख ऊन के नमूनों की बीकानेर ऊन विश्लेषण प्रयोगशाला द्वारा जांच की गई।

96. राज्य सरकार की राजकीय अनुदानित बीमा योजनाओं के अन्तर्गत भेड़ बीमा हेतु 41.38 लाख रुपये का अनुदान बीमा कम्पनियों को उपलब्ध करवाया गया, जबकि 143.14 लाख रुपयों का बीमा लाभ पशुपालकों को प्राप्त हो चुका है। इसी भांति प्रदेश मे भेड़पालकों व गौपालकों के हितार्थ बीमा योजनायें प्रारम्भ की गई हैं, जिससे भेड़पालक/गौपालक लाभान्वित हो रहे हैं। योजना में 2,43,920 भेड़ों का बीमा, 98,620 भेड़पालकों का बीमा, 30611 गायों का बीमा व 97,454 गौपालकों का बीमा करवाया गया है।

97. राजस्थान सहकारी डेयरी फैडरेशन लिमिटेड से संबद्ध 16 जिला दुग्ध उत्पादक सहकारी संघों द्वारा वर्ष में माह दिसम्बर, 2006 तक कुल औसतन 13.49 लाख किलोग्राम दुग्ध संकलित कर 12.01 लाख लीटर प्रतिदिन दुग्ध विपणन किया गया, जो गत वर्ष की इसी अवधि की तुलना में 17 प्रतिशत अधिक है। वर्ष में दुग्ध उत्पादकों को विगत वर्ष की तुलना में उनके दूध की कीमत के रूप में 12 प्रतिशत वृद्धि की गयी एवं दुग्ध उत्पादकों को 449 करोड़ रुपये से अधिक का भुगतान किया गया। फैडरेशन द्वारा अपने दुग्ध उत्पादकों हेतु एक अनुपम योजना 'सरस सामूहिक आरोग्य बीमा' के अन्तर्गत अब तक 91,362 सदस्यों को लाभान्वित करते हुए कुल देय बीमा प्रीमियम राशि रुपये 3.32 करोड़ के 55 प्रतिशत अनुदानस्वरूप 182.6 लाख रुपये का भुगतान किया गया है।

98. सहकारी संस्थाओं में 15 वर्षों के पश्चात् निर्वाचित प्रतिनिधियों की भागीदारी को सुनिश्चित करने के लिये राज्य सहकारी निर्वाचन प्राधिकरण का गठन कर लगभग 11,000 सहकारी संस्थाओं के चुनाव कराये गये। इनके प्रथम चरण में 5,188 प्राथमिक दुग्ध उत्पादक सहकारी समितियां, द्वितीय चरण में 5,189 पैक्स/लैम्पस एवं आर.सी.डी.एफ. सहित लगभग 662 अन्य सहकारी समितियों के निर्वाचन कराये गये हैं।

99. सहकारी विभाग द्वारा वर्ष 2006-07 में अल्पकालीन ऋण के 27,00.00 करोड़ रुपये (दो हजार सात सौ करोड़ रुपये) के लक्ष्य के विरुद्ध दिनांक 15.2.2007 तक 2,561.44 करोड़ रुपये (दो हजार पांच सौ इक्कसठ करोड़ चवालीस लाख रुपये) के ऋण वितरण किये गये एवं दीर्घकालीन ऋण वितरण 275.00 करोड़

रुपये (दो सौ पिच्चहतर करोड़ रुपये) के लक्ष्यों के विरूद्ध 179.43 करोड़ रुपये (एक सौ उन्नयासी करोड़ तैतालीस लाख रुपये) कुल 2,740.87 करोड़ रुपये का ऋण वितरण किया गया है। अल्पकालीन ऋण को कम ब्याज दर पर वितरण करने के उद्देश्य से इस वर्ष से 11.5 प्रतिशत के स्थान पर 7.00 प्रतिशत ब्याज दर पर अल्पकालीन ऋण वितरण करने का क्रान्तिकारी कदम लिया गया है।

100. मार्च, 2007 से समर्थन मूल्य पर सरसों की खरीद प्रारम्भ कर 14.18 लाख मैट्रिक टन सरसों 264 क्रय केन्द्रों पर खरीद की गई थी, जिसका 2,652 करोड़ रुपये का भुगतान कृषकों को किया जा चुका है। वर्ष 2007 में राजस्थान में सरसों का भारी उत्पादन होने की सम्भावना है। इसलिए राज्य सरकार द्वारा राजफैड/तिलम संघ के मार्फत समर्थन मूल्य पर सरसों खरीद के लिए 263 केन्द्र चिन्हित कर आवश्यक प्रारम्भिक व्यवस्थाएं पूर्ण कर ली गयी हैं। सरसों खरीद की तिथि सुनिश्चित करने हेतु माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा केन्द्र सरकार को शीघ्र सरसों समर्थन मूल्य पर खरीद प्रारम्भ करने के लिए अनुरोध किया गया है। केन्द्र सरकार से निर्देश प्राप्त होते ही राज्य सरकार द्वारा खरीद प्रारम्भ कर दी जावेगी।

101. राज्य सरकार किसानों के हितों के प्रति काफी संवेदनशील है तथा इस दिशा में कृषि टैरिफ में 1 जनवरी, 2005 से की गई वृद्धि का सम्पूर्ण भार किसानों पर नहीं डालकर राज्य सरकार ने स्वयं वहन किया है तथा इस घाटे की पूर्ति विद्युत वितरण निगमों को नियामक आयोग द्वारा निर्धारित पूर्ण रुप से अतिरिक्त वित्तीय अनुदान प्रदान किया जा रहा है। विगत तीन वर्षों में 1,05,609 कृषि कनेक्शन जारी किये जा चुके हैं। गरीबी की रेखा के नीचे जीवनयापन करने वाले कुटीर ज्योति उपभोक्ताओं को पहले ही राज्य सरकार ने राहत देते हुए 1.70 रुपये प्रति यूनिट की जगह केवल 85 पैसे प्रति यूनिट दर तय की है।

102. इस वर्ष रबी की फसल हेतु किसानों को पर्याप्त विद्युत उपलब्ध कराने हेतु रुपये 600 करोड़ व्यय कर राज्य सरकार द्वारा अतिरिक्त बिजली क्रय करवाई गई है। विगत 3 वर्षों में 1400 करोड़ रुपये अतिरिक्त व्यय कर विद्यत कम्पनियों ने काश्तकारों को रबी फसल का पूरा लाभ लेने हेतु व्यवस्था की। केन्द्रीय विद्युत उत्पादन गृहों से राज्य को आवंटित विद्यत उपलब्ध नहीं होने पर भी माह जनवरी, 2007 में 1,028 लाख यूनिट प्रतिदिन की विद्युत आपूर्ति की गई है जो अब तक का सर्वाधिक रिकार्ड है।

103. विद्युत की छीजत में कमी करने हेतु 11 के.वी. के सभी 8,475 फीडरों के सुधार कार्यक्रम के अन्तर्गत सभी फीडरों के सुधार हेतु संविदा के आदेश जारी किये जा चुके हैं तथा 1686 फीडरों के सुधार का कार्य पूर्ण किया जा चुका है। जिन फीडरों के सुधार के फलस्वरूप छीजत 15 प्रतिशत तक आ गई है, ऐसे 600 ग्रामों को 24 घंटे विद्युत आपूर्ति उपलब्ध कराई जा रही है।

104. राज्य में विद्युत की बुढती हुई मांग प्रदेश के आर्थिक एवं सामाजिक विकास का परिचायक है और मांग व पूर्ति के अन्तर को कम करने के लिए राज्य सरकार विद्युत उत्पादन बढ़ाने को प्राथमिकता दे रही है। इस क्रम में राज्य क्षेत्र में 1,525 मेगावाट क्षमता की 7 परियोजनाओं पर कार्य प्रगति पर है। राज्य में पहली बार लिग्नाइट आधारित 125 मेगावाट क्षमता की गिरल परियोजना की प्रथम इकाई का कार्य पूर्ण हो चुका है और इसी माह विद्युत् उत्पादन प्रारम्भ हो जावेगा। 330 मेगावाट क्षमता की गैस आधारित धौलपुर विद्युत परियोजना पर भी द्रुतगति से चल रहा है तथा इसी वर्ष विद्युत प्रारम्भ होने की आशा है।

105. प्रसारण तंत्र को और अधिक सुदृढ़ करने हेतु विगत तीन वर्षों में 220 के.वी. के 7,132 के.वी. के 35 तथा 33 के.वी. के 557 ग्रिड सब-स्टेशन स्थापित किये जा चुके हैं। 220 के.वी. के 2,132 के.वी. के 7 तथा 33 के.वी. के 56 ग्रिड सब-स्टेशनों की स्थापना का कार्य मार्च, 2007 तक पूर्ण कर लिया जावेगा।

106. राज्य की समस्त राजस्व तहसीलों की जमाबन्दियों को कम्प्यूटरीकृत कर दिया गया है एवं यह समस्त डेटा इन्टरनेट पर उपलब्ध है। पायलेट प्रोजेक्ट के तहत जयपुर जिले की विराटनगर तहसील में खसरा नक्शा को डिजिटाइलेशन करने का कार्य प्रायोगिक तौर पर प्रारम्भ किया गया है।

107. ग्राम सम्पर्क अभियान के अन्तर्गत दिनांक 2 जनवरी, 2007 से 9 फरवरी, 2007 तक 2,09,897 नामान्तकरण सत्यापित किये गये, 1,07,143 पास बुक वितरित की गयी, 18,205 किसानों को खातेदारी अधिकार दिये गये एवं 21,560 विभाजन के प्रकरण निस्तारित किये गये। जल चेतना अभियान के दौरान 26,046 नामान्तकरण का निस्तारण किया गया।

108. उपनिवेशन विभाग द्वारा इन्दिरा गांधी नहर परियोजना क्षेत्र में गत 3 वर्षों में 7,366 काश्तकारों को 33,555 हैक्टेयर कमाण्ड एवं 19,960 हैक्टेयर अनकमाण्ड भूमि का कुल 53,515 भूमि का आवंटन किया गया।

109. राज्य सरकार द्वारा काश्तकारों की मांग को ध्यान में रखते हुए उपनिवेशन क्षेत्र के किसानों द्वारा देय बकाया किश्त जमा कराने पर देय ब्याज को माफ करने का आदेश 6 अगस्त, 2004 को जारी किया गया, जिसकी अवधि समय-समय पर बढ़ायी गयी। यह अवधि 30 जून, 2006 को समाप्त हो गयी। इस अवधि के दौरान 49,701 काश्तकारों द्वारा देय राशि जमा कराने पर 28.50 करोड़ रुपये की ब्याज की छूट दी गयी।

110. जनजाति क्षेत्र उपयोजना के अन्तर्गत माही, मध्यम एवं लघु सिंचाई परियोजना क्षेत्र में गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले परिवारों को नि:शुल्क भूमि तथा अनुसूचित जाति/जनजाति के आंवटियों को आरक्षित दर की 25 प्रतिशत राशि पर आवंटन का प्रावधान किया गया। इससे 149 परिवारों को लाभान्वित किया गया।

111. माही विस्थापितों का पुनर्वास करने की समस्या कई वर्षों से विचाराधीन चली आ रही थी। इन विस्थापितों का पुनर्वास करने के लिए अभियान चलाया जाकर 460 विस्थापितों का पुनर्वास किया गया एवं शेष विस्थापितों के पुनर्वास के प्रयास जारी हैं।

112. द्वितीय विश्व युद्ध के नॉन-पेंशनर पूर्व सैनिकों को दी जा रही 300/- रुपये प्रति माह की पेंशन उनकी विधवाओं को दी जा रही 600/- रुपये प्रति माह की पेंशन को बढ़ाकर 1.4.2006 से 800/- रुपये प्रति माह कर दी गई है। इससे द्वितीय विश्व युद्ध के कुल 8,914 नॉन-पेंशनर पूर्व सैनिक एवं उनकी विधवायें लाभान्वित हुई हैं।

113. परमवीर चक्र, अशोक चक्र, महावीर चक्र, कीर्ति चक्र, वीर चक्र और शौर्य चक्र, सैना/वायु/नौ सैना मैडल धारकों को पूर्व में दी जा रही नकद राशि क्रमश: 22,500/-, 20,000/-, 15,000/-, 12000/-, 7000/- एवं 5000/-, 3000/- रुपयों को 10 गुना बढ़ा दी गई है। इसी प्रकार शौर्य के लिए राष्ट्रपति का पुलिस पदक, शौर्य के लिए पुलिस पदक आदि मैडल धारकों को पूर्व में दी जा रही कुल नकद राशि क्रमश: 15,000/-, 15,000/- को बढ़ाकर क्रमश: 1.00 लाख व 50,000/- रुपये कर दी गई है।

114. वर्ष 2006 में 1,159 पूर्व सैनिकों को इन्दिरा गांधी नहर परियोजना क्षेत्र के स्टेज-II में भूमि आवंटन की गई।

115. राज्य पुलिस की सक्रियता एवं सजगता के कारण वर्ष 2006 में कानून-व्यवस्था की स्थिति संतोषजनक रही। पुलिस प्रशासन एवं जनता के मध्य बेहतर सहयोग से कतिपय घटनाओं को छोड़कर राज्य में साम्प्रदायिक सौहार्द एवं सदभाव बना रहा। वर्ष 2005 की अपेक्षा 2006 में लूट एवं बलात्कार के अलावा शेष सभी अपराधों में कमी हुई है, जबकि वर्ष 2004 की अपेक्षा बलात्कार के अलावा अन्य सभी अपराधों में 8.31 प्रतिशत की कमी आई है। दस्यु प्रभावित क्षेत्र भरतपुर, धौलपुर, सवाईमाधोपुर एवं करौली में राज्य पुलिस द्वारा डकैती, लूट, हत्या एवं अपहरण जैसे जघन्य अपराधों में उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश एवं राज्य में वांछित 22 इनामी डकैतों सहित 69 डकैतों को गिरफ्तार किया गया तथा 2 इनामी डकैतों सहित 5 डकैतों को मार गिराया। डकैती, लूट, बलात्कार आदि संगीन अपराधों में अनुसंधान की प्रक्रिया को तीव्रतर करने की दृष्टि से प्रारम्भ की गयी "केस ऑफिसर स्कीम" में बहुत सफलता मिली है। इनसे न केवल अनुसंधान त्वरित गति से हुए वरन् सजायाबी प्रतिशत भी 50 से बढ़कर 70-75 प्रतिशत तक हुआ है। "स्पेशल क्राइम एण्ड इकोनोमिक्स आफेन्स यूनिट" द्वारा अनेक गंभीर अपराधों का अनुसंधान कर अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया। सुपारी किलर की गिरफ्तारी, विदेशो में नौकरी हेतु भेजने के नाम पर धोखाधड़ी कर करोड़ों रुपये हडपने वाले कबूतरबाजों की गिरफ्तारी कर महत्वपूर्ण सफलता अर्जित की है।

116. पूरे देश में राजस्थान एकमात्र ऐसा राज्य है जहां 41 थानों को आई.एस.ओ. 9001:2000 सर्टिफिकेट से प्रमाणित किया गया है। जयपुर के शिप्रापथ व रामगंज थाने को पूरे एशिया में क्रमश: प्रथम व द्वितीय स्थान पर आकलित किया गया है। भा.द.सं. में दर्ज अपराधों के निस्तारण की दृष्टि से राजस्थान देश में पहला स्थान है जहां वर्ष 2006 में 96.03 प्रतिशत अपराधों का अनुसंधान कर निस्तारण किया गया। वर्ष 2006-07 में राज्य के सभी थानों के कम्प्यूटराइजेशन का लक्ष्य पूरा कर लिया गया। इसमे सांसद और विधायकों ने भी अपनी निधि से सहयोग किया। थानों से लेकर राज्य स्तर तक जनसहभागिता अधिकाधिक हो इस दृष्टि से राज्य स्तर पर एक 'राज्यस्तरीय समिति', प्रत्येक जिले में 'जिला समन्वय समिति' तथा थाना स्तर पर 'समुदाय सम्पर्क समूहो' (सी.एल.जी.) का गठन किया गया है। आपसी विवादों

को मिल-बैठकर सुलझाने तथा पुलिसकर्मियों एवं नागरिकों के बीच में सौहार्दपूर्ण वातावरण बनाने में इन समूहों की भूमिका महत्वपूर्ण होती जा रही है।

117. विज्ञान सम्मत साक्ष्य की सुविधा राज्य के सभी संभागों में उपलब्ध हो, इस दृष्टि से जोधपुर, जयपुर तथा उदयपुर की प्रयोगशालाओं का सुदृढ़ीकरण किया गया है तथा कोटा में एक नई क्षेत्रीय प्रयोगशाला विकसित की गयी है। अजमेर, भरतपुर एवं बीकानेर में क्षेत्रीय विधि विज्ञान प्रयोगशालाएँ प्रकियाधीन हैं। जिलों के लिए 'मोबाइल यूनिट्स' गठित की गयी हैं। जयपुर स्थित प्रयोगशाला में कई नये अनुभाग आरंभ किये गये जिनमें कम्प्यूटर तथा साईबर अनुभाग, आडियो/वीडियो टेप तथा सी.डी. रिकार्डिंग वेरीफिकेशन, वन्य जीवन अपराध सेक्शन तथा डी.एन.ए. परीक्षण लैब उल्लेखनीय हैं। जिलों में लम्बित लघु प्रकृति के प्रकरणों को न्यायालय से वापिस लिये जाने के संबंध में राज्य सरकार को परामर्श दिये जाने हेतु जिला स्तर पर 'जिला स्तरीय समितियों' का पुनर्गठन किया गया। इन समितियों की गतिशीलता और नियमित समीक्षा का परिणाम यह हुआ कि पूरे वर्ष में जो मात्र 100-150 प्रकरण हो पाते थे, उनकी संख्या बढ़कर 12,960 हो गयी। 25 अप्रेल, 2006 को मुख्यमंत्री महोदया ने अनुसूचित जनजाति के सदस्यों के विरुद्ध लंबित 20 बोतल तक शराब के तथा दो वर्ष तक की सजा के प्रकरणों को वापिस लेने की घोषणा की थी तदनुसार भारतीय दण्ड संहिता के अंतर्गत 6,276 तथा आबकारी अधिनियम के 2,928 प्रकरण वापिस लिये गये हैं।

118. राज्य के 65 वर्ष व अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिकों को 16.10.2006 से अन्तर्राज्यीय मार्गों पर परिवहन निगम के वाहनों में यात्रा पर किराये में 30 प्रतिशत की रियायत प्रदान की गयी है।

119. राज्य सरकार स्थानीय निकायों के माध्यम से राज्य के नगरीय क्षेत्रो के सुनियोजित विकास हेतु सतत प्रयत्नशील है।

120. राज्य सरकार द्वारा समस्त नगर निकाय क्षेत्रों में लागू गृहकर समाप्त कर दिया गया है।

121. शक्तियों के विकेन्द्रीकरण एवं नगर निकायों को अधिक सशक्त बनाने की दृष्टि से नगर निकायों को अधिक वित्तीय अधिकार दिये गये हैं। नगर निकायों को

2.00 करोड़ रुपये, नगर परिषदों को 1.00 करोड़ रुपये, जिला मुख्यालय की नगर-पालिकाओं को 50 लाख रुपये रुपये एवं अन्य नगरपालिकाओं को 10 लाख रुपये तक कार्य स्वीकृत करने के अधिकार दिये गये हैं। नगर निगम के महापौर, नगर परिषद् के सभापति, जिला मुख्यालय की नगर पालिकाओं के अध्यक्षों एवं अन्य नगर पालिकाओं के अध्यक्षों को भी क्रमश: 25 लाख रुपये, 10 लाख रुपये एवं 1 लाख रुपये के वित्तीय अधिकार प्रदान किये गये हैं।

122. राज्य के तीन शहरों जयपुर, अजमेर, पुष्कर का जवाहरलाल नेहरू अरबन रिन्यूवल मिशन हेतु चयन किया गया है। इन शहरों में आधारभूत विकास एवं शहरी गरीबों हेतु मुलभूत सेवा परियोजनाओं हेतु वर्ष 2006-07 में 74 करोड़ रुपये का प्रावधान रखा गया है। अब तक इस योजनान्तर्गत 1021.59 करोड़ रुपये की 6 परियोजनायें स्वीकृत हो चुकी हैं।

123. राज्य के अन्य शहरों के लिये 2 अन्य परियोजनायें लघु एवं मध्यम कस्बों की समन्वित आधारभूत विकास योजना एवं एकीकृत आवास एवं स्लम विकास कार्यक्रम हेतु राज्य सरकार द्वारा वर्ष 2006-07 में क्रमश: 59 करोड़ एवं 47 करोड़ रुपये का प्रावधान रखा गया है। लघु एवं मध्यम कस्बों की समन्वित आधारभूत विकास योजनाओं में 149.46 करोड़ रुपये की 22 परियोजनाएं तथा एकीकृत आवास एवं स्लम विकास कार्यक्रम के अंतर्गत 59.45 करोड़ रुपये की 15 परियोजनाएं स्वीकृत की जा चुकी हैं।

124. विरासत संरक्षण एवं विकास योजना के अंतर्गत चयनित 31 शहरों में से 12 शहरों को वर्ष 2006-07 में 5.50 करोड़ रुपये आवंटित किये गये हैं। इस योजना के अन्तर्गत अब तक 233 स्वीकृत कार्यों में से 143 कार्य पूर्ण किये जा चुके हैं।

125. शहरी जन सहभागी योजना के अन्तर्गत 44.35 करोड़ रुपये की लागत से 483 कार्य स्वीकृत किये गये थे, उनमें से 52 कार्य पूर्ण किये जा चुके हैं।

126. राज्य के 50 नगरीय क्षेत्रों में ''अक्षय कलेवा'' योजना के माध्यम से शहरी क्षेत्रों के निर्धन एवं जरूरतमंद व्यक्तियों को केवल 5 रुपये प्रतिदिन में भरपेट भोजन उपलब्ध करवाया जा रहा है और इससे लगभग 10,000 व्यक्ति प्रतिदिन लाभान्वित हो रहे हैं।

127. राज्य के छ: प्रमुख शहरों यथा जयपुर, जोधपुर, उदयपुर, कोटा, बीकानेर व अजमेर में राजस्थान शहरी आधारभूत विकास परियोजना

(आर.यू.आई.डी.पी.) द्वारा नागरिक सेवाओं के सुधार हेतु एशियन विकास बैंक से वित्त पोषित 1,600 करोड़ रुपये की विकास योजना का प्रथम चरण पूरा किया जा चुका है तथा द्वितीय चरण में राज्य में 15 शहरों को सम्मिलित किया गया है तथा द्वितीय चरण के ऋण की स्वीकृति एशियन विकास बैंक द्वारा प्रदान कर दी गई है।

128. जयपुर शहर को पेयजल उपलब्ध करवाने के लिये आर.यू.आई.डी.पी.-फेज प्रथम के तहत ही बीसलपुर पेयजल योजना का कार्य दिनांक 1.07.2006 से शुरू किया जा चुका है और बीसलपुर बांध से 36 करोड़ लीटर पानी प्रतिदिन जयपुर शहर को उपलब्ध करवाया जायेगा तथा इस परियोजना को दिसम्बर, 2008 तक पूरा करने का राज्य सरकार का लक्ष्य है।

129. बस रैपिड ट्रांजिट सिस्टम (बी.आर.टी.एस.) परियोजना के प्रथम चरण में केन्द्र सरकार द्वारा जवाहर लाल नेहरू अरबन रिन्यूवल मिशन के तहत 469.00 करोड़ रुपये की मंजूरी दी गई है। इस योजना के अंतर्गत शहर में 42 कि.मी. लम्बे कारीडोर में उच्च क्षमता युक्त कम्प्यूटराइज्ड तथा आधुनिक बसें उपलब्ध करवाई जावेंगी।

130. राजस्थान आवासन मण्डल द्वारा सांगानेर (जयपुर) में अल्प आय वर्ग के लोगों के लिए बहुमंजिली ''द्वारकापुरी आवासीय योजना'' में 2,976 फ्लेट्स आधुनिक तकनीक (माइवान शटरिंग) से निर्माणाधीन हैं। इसी तरह शहीद सैनिकों की विधवाओं हेतु ''वीरांगना विहार'' बहुमंजिली आवासीय योजना में 576 फ्लेटस (G+7) बनाये जाने प्रस्तावित हैं।

131. मानसरोवर में थड़ी होल्डर्स हेतु ''झूलेलाल मार्केट'' का निर्माण किया जाना प्रस्तावित है तथा इसी कालोनी में अन्तर्राष्ट्रीय बस अड्डा ''दिसावर'' का निर्माण कराया जा रहा है।

132. राज्य में अब तक कुल 62 शहरों /कस्बों के मास्टर प्लान अनुमोदित कर लागू किये जा चुके हैं।

133. महाराष्ट्र पैटर्न मद के अन्तर्गत वर्तमान सरकार द्वारा जनजाति क्षेत्रों में केवल तीन वर्ष के कार्यकाल में 184.03 करोड़ रुपये उपलब्ध कराये गये जबकि इसके पूर्व के पांच वर्षों के कार्यकाल में 44.65 करोड़ रुपये उपलब्ध कराये गये। यह वृद्धि 412.16 प्रतिशत है।

134. अनुसूचित क्षेत्र सहरिया क्षेत्र में बालिका शिक्षा को प्रोत्साहन देने हेतु 290.00 लाख रुपये व्यय कर 18,897 छात्राओं को नि:शुल्क साइकिलें एवं स्कूटियां वितरित की गई तथा इन्हीं क्षेत्रों में 123.17 लाख रुपये व्यय कर अन्त्योदय एवं गरीबी रेखा से नीचे जीवनयापन करने वाले 5.62 लाख परिवारों को प्रति माह प्रति परिवार एक किलो नि:शुल्क आयोडीनयुक्त नमक वितरित किया गया है। पिछले तीन वर्षों में 28 नवीन आश्रम छात्रावासों का संचालन प्रारम्भ किया गया है तथा 191 जनजाति बस्तियों का विद्युतीकरण किया गया है।

135. वर्ष 2006-07 में कृषि, उद्यानिकी, सेरीकल्चर कार्यक्रमों के माध्यम से 11,055 जनजाति परिवारों को लाभान्वित किया गया है। सिंचाई कार्यक्रमों के तहत 3,888 परिवारों को लाभान्वित किया गया। शैक्षिक कार्यक्रमों में 19,331 जनजाति छात्र/छात्राओं को लाभान्वित किया गया। वर्ष 2006-07 में सहरिया क्षेत्र में 100 अतिरिक्त मांबाड़ी केन्द्रों का संचालन प्रारम्भ किया गया है जिनमें 3,000 सहरिया बालक/बालिकाओं को लाभान्वित किया जा रहा है।

136. वेणेश्वर मेला स्थल के पास माही नदी डूंगरपुर में पर्यटन एवं सिंचाई सुविधाओं के विस्तार के उद्देश्य से राशि रुपये 4.59 करोड़ की लागत से निर्मित वेणेश्वर एनीकट का कार्य पूर्ण कर वर्ष 2006-07 में लोकार्पण किया गया है एवं गत तीन वर्षों में 222 अन्य एनीकटों का निर्माण करवाया गया है।

137. अनुसूचित क्षेत्र के छात्र-छात्राओं को राजस्थान प्रशासनिक सेवाओं की प्रारम्भिक परीक्षा में उत्तीर्ण होने पर मुख्य परीक्षा की तैयारी हेतु 30,000/- रुपये एवं साक्षात्कार की तैयारी हेतु 15,000/- रुपये की आर्थिक सहायता उपलब्ध कराने हेतु अनुप्रति योजना वर्ष 2006-07 से लागू की गई है।

138. जनजाति छात्र मेडिकल कालेज, आई.टी.आई. एवं इंजीनियरिंग कालेज में प्रवेश पा सकें इसलिए राज्य के प्रतिष्ठित कोचिंग संस्थानों में प्रतिभावान जनजाति छात्रों को कोचिंग प्रदान की जा रही है। इसके लिए वर्ष 2006-07 में 10.50 लाख रुपये स्वीकृत किये गये हैं।

139. वर्ष 2006-07 में कक्षा 6 से 12 के जनजाति छात्र-छात्राओं को राज्य के उच्च प्रतिष्ठित विद्यालयों में अध्ययन योजना के तहत 2.50 करोड़ रुपये स्वीकृत कर 1,012 छात्र/छात्राओं को लाभान्वित किया गया।

140. गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों को सम्बल प्रदान करने

हेतु सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा इस वर्ष 14 अगस्त से एक नई पन्नाधाय जीवन अमृत योजना (जनश्री बीमा योजना) भारतीय जीवन बीमा निगम के सहयोग से प्रारम्भ की गई है। इस योजना में राज्य के समस्त 22 लाख 23 हजार बी.पी.एल. परिवारों के मुखियाओं को नि:शुल्क जीवन बीमा की सुविधा उपलब्ध करा दी गई है।

141. वृद्धजन समाज के सम्मानीय एवं वंदनीय व्यक्ति हैं। 65 वर्ष एवं अधिक आयु के पात्र वृद्ध, नि:शक्त एवं विधवाओं को दी जाने वाली पेंशन राशि 200/- रुपये से बढ़ाकर 400/- रुपये प्रति माह की गई है। सामाजिक पेंशन योजनाओं में राज्य के 7 लाख 90 हजार पेंशनर्स पर 250 करोड़ रुपयों का वार्षिक व्यय किया जा रहा है।

142. विभाग द्वारा अनुसूचित जाति/जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग के शैक्षणिक उन्नयन के लिए 602 राजकीय तथा 94 अनुदानित छात्रावासों के माध्यम से 28 हजार से अधिक छात्र/छात्राओं को तथा छात्रवृत्ति योजनान्तर्गत राज्य के लगभग 2 लाख से अधिक विद्यार्थियों को लाभान्वित किया जा रहा है।

143. अनुसूचित जाति/जनजाति के लिये संचालित की जा रही अनुप्रति योजना के तहत अखिल भारतीय सेवाओं की प्रतियोगी परीक्षाओं के लिये अभ्यर्थी को 1 लाख रुपये की सहायता उपलब्ध कराई जाती है तथा अनुसूचित जाति के अभ्यर्थी को राज्य की प्रशासनिक परीक्षा के लिये 45 हजार की राशि दी जाती है।

144. पालनहार योजना न केवल राजस्थान प्रदेश की बल्कि समूचे देश की एक अनूठी योजना है, जिसके अन्तर्गत सभी वर्गों के अनाथ बच्चों के पारिवारिक वातावरण में पालन-पोषण के लिये प्रतिमाह 675 रुपये, बच्चे के पालनहार को वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई जाती है। इस योजना में 2 हजार से अधिक बच्चों की परवरिश हो रही है।

145. अस्पृश्यता उन्मूलन हेतु अनुसूचित जाति के बालिग युवक-युवती के साथ गैर अनुसूचित जाति के युवती/युवक द्वारा अन्तर्जातीय विवाह पर दी जाने वाली 5 हजार रुपये की प्रोत्साहन राशि को बढ़ाकर 50 हजार रुपये कर दिया गया है।

146. नि:शक्त कल्याण के क्षेत्र में चलाई जा रही योजना के तहत पात्र नि:शक्तों को नि:शुल्क मोबाइल कियोस्क तथा 40 हजार रुपये का ऋण एवं 10 हजार का अनुदान स्वरोजगार हेतु उपलब्ध कराया जाता है।

147. राम्य में 274 समेकित बाल विकास परियोजनाओं के माध्यम से 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों, गर्भवती एवं धात्री माताओं को पूरक पोषाहार, टीकाकरण, स्वास्थ्य जांच इत्यादि सेवाओं से लाभान्वित किया जा रहा है। इसके अन्तर्गत 32 लाख 26 हजार बच्चे एवं माताएं पोषाहार का लाभ प्राप्त कर रहे हैं। 3-6 वर्ष के बच्चों को गरम पोषाहार उपलब्ध करवाया जा रहा है। इसके अतिरिक्त 15 लाख बच्चों को शाला पूर्व शिक्षा से जोड़ा गया है।

148. चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग से समन्वय स्थापित कर 70 प्रतिशत से अधिक आंगनबाड़ी केन्द्रों पर मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य व पोषण दिवस का आयोजन प्रतिमाह किया जा रहा है। इनके माध्यम से अति-कुपोषित बच्चों की पहचान सुरक्षित मातृत्व तथा पोषण एवं स्वास्थ्य जानकारी पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। इन प्रयासों के व्यापक प्रभाव ताजा सर्वेक्षणों में सामने आये हैं। राज्य में 3 वर्ष से कम आयु के बच्चों में अल्पवजनता की दर 51 प्रतिशत से घटकर 44 प्रतिशत रह गई है।

149. कुपोषण की स्थिति में सुधार लाने के लिए राज्य के अनुसूचित जाति क्षेत्रों में इस वित्तीय वर्ष में न्यूट्रीशन परियोजना मिशन मोड में प्रारम्भ की गई है।

150. आंगनबाड़ी केन्द्रों पर आधारभूत सुविधाएं विकसित करने की दृष्टि से राज्य में प्रथम बार विगत दो वर्षों में एक साथ 5 हजार आंगनबाड़ी भवनों का निर्माण करवाया गया।

151. महिलाओं के आर्थिक सशक्तीकरण हेतु चलाई जा रही स्वयं सहायता समूह योजना के अन्तर्गत अब तक राज्य में 1 लाख 22 हजार से अधिक महिला स्वयं सहायता समूहों का गठन किया जा चुका है। 72 हजार से अधिक समूहों को 131 करोड़ रुपये से अधिक के ऋण बैंकों के माध्यम से उपलब्ध करवाये गये हैं तथा 1 लाख से अधिक महिलाओं को विभिन्न प्रकार के प्रशिक्षण दिये जा चुके हैं।

152. गत तीन वर्षों में महिला एवं बाल विकास विभाग के अन्तर्गत विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से लगभग 45 हजार महिलाओं का नियोजन सहयोगिनी, साथिगन, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता व सहायिका के रूप में किया गया है।

153. महिला एवं बाल विकास विभाग के अधीन मानदेय पर कार्यरत लगभग 1 लाख 50 हजार महिलाओं के हितार्थ एक कल्याण कोष की स्थापना की गई है। इस योजना के अन्तर्गत मानदेय कर्मियों के योगदान पर 25 प्रतिशत राशि

का अंशदान राज्य सरकार द्वारा किया जाता है जिससे बीमे के लाभ के अतिरिक्त सेवा से मुक्त होने पर मानदेय पर कार्यरत महिलाओं को एकमुश्त राशि प्राप्त होती है। भारतीय जीवन बीमा निगम के सहयोग से क्रियान्वित इस योजना के अन्तर्गत लगभग 70 हजार महिलाओं को जोड़ा जा चुका है। मानदेय कार्यकर्ताओं के लिए यह हली सामूहिक बचत व बीमा योजना है।

154. राज्य में औद्योगिक विकास के लिए सरकार सतत् प्रयासरत है। सरकार की सकारात्मक नीतियों के परिणामस्वरूप वर्ष 2006-07 में माह दिसम्बर, 2006 तक प्रदेश में 3,323 करोड़ रुपये का औद्योगिक निवेश हुआ है एवं गत 3 वर्ष में यह निवेश 7,194 करोड़ रुपये का रहा है। राज्य में कई नई सीमेन्ट इकाइयां निर्माणाधीन हैं एवं वर्तमान इकाइयों का भी विस्तार किया जा रहा है जिसमें 4,000 करोड़ रुपये का विनियोजन अनुमानित है।

155. इस वर्ष दो नये औद्योगिक क्षेत्र नीमराना व निवाई में विकसित किये गये हैं। किशनगढ़ के नजदीक सिलोरा में एक टैक्सटाइल पार्क के निर्माण का कार्य प्रगति पर है एवं इसी स्थान पर एक और इन्टीग्रेटेड टेक्सटाइल पार्क की स्थापना प्रस्तावित है।

156. रीको एवं राजस्थान वित्त निगम द्वारा इस वर्ष जनवरी, 2007 तक 364 करोड़ रुपये के ऋण स्वीकृत किये गये हैं। इन निगमों द्वारा गत 3 वर्षों में 1,146 करोड़ रुपये के ऋण स्वीकृत कर प्रदेश के औद्योगिक विकास में एक महत्वपूर्ण योगदान दिया गया है।

157. इन प्रयासों के फलस्वरूप इस वर्ष जनवरी, 2007 तक 1,20,000 से अधिक रोजगार के अवसरों का सृजन प्रदेश के औद्योगिक क्षेत्र में हुआ है। गत 3 वर्षों में 3 लाख से भी अधिक रोजगार के अवसर राज्य में सृजित किए गए हैं।

158. राज्य के ए.पी.एल. परिवारों हेतु प्रतिमाह आवंटित गेहूं की मात्रा 1,57,682 मै. टन को संशोधित कर माह जून, 2006 से नियमित आवंटन 16,959 मै. टन प्रति माह कर दिया गया है। यह पूर्व में आवंटित मात्रा का 10 प्रतिशत है। गेहूं की खुले बाजार में अधिक कीमतों के कारण ए.पी.एल. परिवारों द्वारा भी गेहूं की मांग लगातार की जा रही है। राज्य सरकार ए.पी.एल. परिवारों हेतु गेहूं का आवंटन बढ़वाने के लिए भारत सरकार से निरन्तर प्रयासरत है, ताकि सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अन्तर्गत ए.पी.एल. परिवारों को भी उचित मूल्य पर गेंहू प्राप्त हो सके।

159. लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अन्तर्गत राज्य को आयातित गेहूं आवंटित किया जा रहा है, जो लाल रंग व छोटे दाने का है और उपभोक्ताओं में सहज स्वीकार्य नहीं है। अत: केन्द्र सरकार को अच्छी किस्म का गेहूँ आवंटित करने का अनुरोध किया गया है।

160. राजस्थान प्राप्त में अनूठी विरासत ऐतिहासिक भवनों, बावड़ियों एवं हवेलियों आदि के रुप में विद्यमान है। 100 वर्ष से पुराने 7,000 ऐसे ऐतिहासिक भवनों का सूचीकरण किया जा चुका है एवं शीघ्र पूर्ण प्रलेखन कार्य वित्तीय वर्ष 2006-07 में पूरा सहयोग हो जायेगा।

161. इस भव्य पुरासम्पदा के संरक्षण एवं विकास के लिए राजस्थान स्मारक, पुराअवशेष, स्थान तथा प्राचीन वस्तु अधिनियम, 1961 में हेरिटेज जोन (Heritage Zone) हेतु एक नया अध्याय जोड़ने की कार्यवाही आरम्भ कर दी गई है। जयपुर शहर के हेरिटेज मास्टर प्लान का मसौदा तैयार किया जा चुका है, इसे शीघ्र ही अन्तिम रूप दिया जायेगा। राज्य में अल्बर्ट हॉल म्यूजियम का जीर्णोद्धार एवं विकास कार्य चल रहा है तथा आगामी वर्ष में जोधपुर, मण्डोर, चित्तौड़, अजमेर एवं भरतपुर संग्रहालयों का जीर्णोद्धार एवं विकास कार्य आरम्भ किया जायेगा।

162. आमेर महल को अन्तर्राष्ट्रीय पर्यटन स्थल के रूप में विकसित किया जा रहा है तथा आमेर महल परियोजना में लगभग 2.5 करोड़ रुपये के संरक्षण एवं विकास कार्य कराये जा चुके हैं। वर्ष 2007-2008 में राज्य के विभिन्न नगरों के 148 नगर दारों (City Gates) चूरू, झुन्झुनू, सीकर सहित शेखावाटी हेरिटेज क्षेत्र, सांभर हेरिटेज क्षेत्र, दलहनपुर हेरिटेज क्षेत्र एवं महु बोरदा हेरिटेज क्षेत्र के संरक्षण एवं विकास कार्य करवाये जाने प्रस्तावित हैं।

163. वर्ष 2006 में राज्य में 12.20 लाख विदेशी एवं 234.83 लाख स्वदेशी पर्यटक आये, जो अब तक सर्वाधिक है।

164. भारत में विदेशी पर्यटकों के आगमन में लगभग 13.05 प्रतिशत की वृद्धि हुई है।

165. राजस्थान में विदेशी पर्यटकों के आगमन में लगभग 7.87 प्रतिशत की वृद्धि हुई है।

166. भारत में आये विदेशी पर्यटकों के आगमन में से राज्य में आये विदेशी पर्यटकों के आगमन का हिस्सा लगभग 27.54 प्रतिशत है।

167. ट्रेन ट्यूरिज्म में राजस्थान की सिरमोर स्थिति को और सुदृढ़ करते हुए रेल मंत्रालय, भारत सरकार के सहयोग से एक और लग्जरी ट्रेन हैरिटेज ऑन व्हील्स शुरू की जा चुकी है, जो मीटर गेज पर शेखावाटी क्षेत्र और बीकानेर में चलाई जा रही है।

168. राज्य के पर्यटन के क्षेत्र में पर्यटकों की संख्या व आधारभूत आवासीय सुविधाओं के अनुपात को संतुलित रखने, राज्य में विनियोजन को बढ़ावा देने, आधारभूत संरचना के विकास एवं निवेशकों को राज्य में आकर्षक वातावरण प्रदान करने के महत्वपूर्ण उद्देश्य की प्राप्ति हेतु राज्य सरकार द्वारा माह जून, 2006 में नई होटल नीति 2006 घोषित की गई हैं। होटल नीति में विभिन्न छूटों एवं सुविधाओं का लाभ नई होटल्स इकाइयों को प्राप्त होगा। होटल नीति द्वारा होटल व्यवसायियों को आरक्षित वाणिज्यिक दरों की 50 प्रतिशत दर पर भूमि उपलब्ध हो सकेगी। होटल इकाई स्थापित करने के लिये भूमि का रूपान्तरण नि:शुल्क आधार पर कराया जा सकेगा।

169. पिछले तीन वर्षों में प्रदेश में हरियाली बढ़ाने के लिये 1,83,990 हैक्टेयर क्षेत्र में पंचायत भूमि, पड़त भूमि एवं वन भूमि पर वृक्षारोपण कार्य किया गया तथा गैर वन भूमि पर वृक्षाच्छादन हेतु कृषि वानिकी के तहत 376 लाख पौधे किसानों, निजी व्यक्तियों एवं संस्थाओं तथा राजकीय विभागों को वितरित किये गये। इस वर्ष में 83,713 हैक्टेयर क्षेत्र में वृक्षारोपण कार्य तथा कृषि वानिकी के तहत 138 लाख पौधों का वितरण अब तक किया गया है।

170. वानिकी विकास की विभिन्न योजनाओं के तहत पिछले तीन वर्षो में 424 लाख मानव दिवसों का सृजन कर स्थानीय लोगों को रोजगार उपलब्ध कराया गया है। इस वर्ष 2006-07 के दौरान अब तक 140 लाख मानव दिवसों का सृजन हुआ है।

171. राजस्थान में सहरिया एवं जनजाति क्षेत्र में इस वर्ष 45,000 हैक्टेयर पर क्लोजर्स निर्माण का कार्य किया जाकर स्थानीय वन सुरक्षा समितियों को रोजगार के साथ-साथ घास एवं अन्य लघु वन उपज उपलब्ध कराया गया है।

172. मृदा एवं जल संरक्षण हेतु इस वर्ष 6,348 जल संग्रहण संरचनाओं का निर्माण कार्य प्रगति पर है।

173. राज्य के गर्भ में विभिन्न प्रकार के धात्विक एवं अधात्विक खनिजों की विपुल सम्पदा मौजूद है। इनके वृहद स्तर पर दोहन के कारण राज्य के विकास में खनिजों का महत्वपूर्ण योगदान है। गत तीन वर्षों में विभाग द्वारा रुपये 2,564.31 करोड़ का राजस्व अर्जित किया गया, जो इससे पूर्व के पांच वर्षों की तुलना में अर्जित राजस्व रुपये 2015.04 करोड़ से रुपये 549.27 करोड़ अधिक रहा। राज्य में अब तक 4,225 मिलियन टन लिग्नाइट के भण्डार सिद्ध किये जा चुके हैं। राज्य सरकार के लगातार प्रयासों के फलस्वरूप भारत सरकार ने बाड़मेर जिले के चार लिग्नाइट ब्लाक-कपूरड़ी, जालीपा, सच्चा सौदा एवं शिवकर को विद्युत् उत्पादन के लिए राजस्थान राज्य खान एवं खनिज निगम को आवंटित किया है।

174. पश्चिमी राजस्थान के बाड़मेर-सांचोर बेसिन में केयर्न एनर्जी द्वारा वृहद पैमाने पर अन्वेषण कर अभी तक 130 तेल के कुंओं का छिद्रण कर 18 तेल और गैस क्षेत्र की खोज की गई है। नवीनतम आकलन के अनुसार इस क्षेत्र में 480 मिलियन टन कच्चे तेल एवं 3 से 6 मिलियन घन मीटर गैस के भण्डार सिद्ध किये गये हैं। उपलब्ध तेल भण्डारों के आधार पर राज्य में रिफाइनरी की स्थापना हेतु राज्य सरकार प्रयासरत है। तेल के शीघ्र उत्पादन एवं परिशोधन से कच्चे तेल के मौजूदा आयात में कमी होगी जिसका सीधा लाभ राष्ट्र को प्राप्त होगा।

175. राजस्थान राज्य खान एवं खनिज निगम तथा राष्ट्रीय कैमिकल्स एण्ड फर्टीलाइजर लिमिटेड के बीच एक समझौते की अनुपालना में रुपये 400 करोड़ का निवेश कर 850 मैट्रिक टन प्रतिदिन क्षमता के डी.ए.पी. संयंत्र की स्थापना चित्तौड़गढ़ जिले के कपासन में की जा रही है।

176. राज्य सरकार के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के अधीन जोधपुर स्थित 'स्टेट रिमोट सेंसिंग एप्लीकेशन सेन्टर' राज्य में सुदूर संवेदन तकनीक के माध्यम से प्राकृतिक संसाधनों के विकास व विभिन्न योजनाओं के निर्माण में अपनी सहभागिता निभा रहा है।

177. कल्याणकारी राज्य की अवधारणा के तहत श्रम एवं रोजगार विभाग, द्वारा बाल श्रमिकों हेतु 858 विशेष विद्यालय संचालित कर 42,900 बाल श्रमिकों को शिक्षा से जोड़ा जा रहा है। जनश्री बीमा योजना के तहत 19,982 श्रमिकों को बीमित किया गया है। श्रमिकों को कार्य के दौरान घटित दुर्घटना होने पर 19.65 करोड़ रुपये मुआवजा दिलाया गया है। टोंक जिले में 173 बीड़ी श्रमिकों हेतु नि:शुल्क भूमि आवंटन कर आवासों का निर्माण करवाया जा रहा है। 25 रोजगार मेलों का आयोजन कर 27,526 आशार्थियों को रोगजार/स्वरोजगार के अवसर उपलब्ध कराये गये हैं। प्रदेश में 3,50,805 बीमित श्रमिकों को कर्मचारी राज्य बीमा योजना के तहत लाभान्वित किया जा रहा है।

178. राज्य में खिलाड़ियों के लिए निरन्तर अन्तर्राष्ट्रीय स्तर की खेल सुविधाओं में वृद्धि करते हुए 751.00 लाख रुपये की लागत से फ्लड लाइट्स एवं 334.00 लाख रुपये की लागत से सिन्थेटिक हाकी टर्फ मैदान के निर्माण सवाई मानसिंह स्टेडियम जयपुर पर करवाये जा चुके हैं। इसके अतिरिक्त 50.00 लाख रुपये की लागत से स्टेडियम पर साइकिलिंग वेलोड्रम पवेलियन, 142.50 लाख रुपये की लागत से आल वेदर स्वीमिंग पूल, 50-50 लाख रुपये की लागत से महिला एवं पुरूष खिलाडियों के लिए होस्टल एवं 432.00 लाख रुपये की लागत से सिन्थेटिक एथलेटिक ट्रेक का निर्माण भी प्रगति पर है।

179. इसके साथ ही प्रदेश के झालावाड़ जिले में 260.00 लाख रुपये की लागत से खेल संकुल का निर्माण करवाया जा चुका है।

180. जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर द्वारा जगतपुरा, जयपुर में विश्व-स्तरीय शूटिंग रेंज (तीरंदाजी, शूटिंग एवं घुड़सवारी) का निर्माण कराया जा रहा है, जिसकी अनुमानित लागत 20,00 करोड़ रुपये आएगी।

181. माननीय सदस्यगण, इस सत्र में निम्न नवीन विधेयक विधानसभा के सम्मुख विचारार्थ प्रस्तुत किए जायेंगे :-

1. भारतीय भागीदारी (राजस्थान संशोधन) विधेयक, 2007
2. राजस्थान आबकारी (संशोधन) विधेयक, 2007
3. राजस्थान उपनिवेशन (संशोधन) विधेयक, 2007

182. इसके अतिरिक्त निम्न वित्तीय कार्य भी किये जायेंगे :-

1. वर्ष 2007-08 के लिए आय-व्ययक अनुमान एवं तत्सम्बन्धी मांगें।

2. वर्ष 2006-07 के लिए अनुपूरक अनुदान मांगें।

183. आज का राजस्थान अपने सीमित संसाधनों के बावजूद विकास में आ रही बाधाओं को दूर करते हुए अब 'बीमारू प्रदेश' की छाप से मुक्त हो चुका है। सरकार के प्रयासों से राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर राजस्थान की विशिष्ट पहचान बनी है और प्रदेश में निवेश के लिए बड़े औद्योगिक घराने आने लगे हैं जिससे आर्थिक विकास का नया माहौल बना है। आप सभी सदस्यगण प्रदेश की प्रगति, खुशहाली और समृद्धि के लिए एकजुट होकर निरन्तर सक्रिय रहने के संकल्प को एक बार पुन: दोहरावें। ''वसुधैव कुटुम्बकम'' की भावना से अनुप्राणित हमारी संस्कृति है। वैश्विक दृष्टि रखते हुए हमें ''सत्यं शिवं सुन्दरम्'' अनुपम रूपम राजस्थान का बनाना है। राजस्थान की महान जनता ने हमें विकास का सुअवसर दिया है। इस अवसर का हम राज्य के विकास के लिए लाभ उठावें। दलगत भावना से ऊपर उठकर हम अरावली की आन और धोरों की धरती का गान समवेत स्वर में गाएं।

184. आओ ! हम सब मिलकर शिक्षित-विकसित राजस्थान बनाएं। अन्त में कहना चाहूंगी :-

बड़प्पन की बात बने, जन-गण-मन उल्लास।
द्विशत का ध्येय एक हो, राजस्थान विकास।।

जय हिन्द।